मंगलवार,
१८ अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

मंगलवार, १८ अगस्त १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शारीरिक शिक्षा

*५९१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) स्कूलों और कालिजों में शारीरिक शिक्षा के विकास का पुनर्विलोकन करने तथा ऐसी सुविधाओं का सुधार तथा विकास करने के उपायों का सुझाव देने के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन (भारत) ने क्यों उप-समिति नियुक्त की है ;

(ख) इस में लगभग कितना व्यय होगा;

(ग) किस समय तक उप-समिति अपना कार्य समाप्त कर लेगी; और

(घ) अभी उप-समिति कितना काम कर चुकी है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) प्रस्तुत विषय पर अपनी सिफारिश देने के पहले शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन (भारत) के केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने यह आवश्यक समझा कि यह मालूम होना चाहिये कि देश में शारीरिक शिक्षा की कितनी सुविधायें हैं, कितनी आवश्यकता है तथा किस प्रकार का पाठ्यक्रम ठीक होगा ।

(ख) १०,००० रुपये से अधिक नहीं ।

(ग) और (घ)। उप-समिति की रिपोर्ट तैयार हो रही है; वह शीघ्र तैयार हो जायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : किन बातों को जानने के लिये उसे निर्देश दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : इन बातों को जानने के लिए निर्देश दिया गया हैं—शारीरिक शिक्षा के स्कूलों तथा कालेजों में कितने शिक्षक हैं तथा वहां का पाठ्यक्रम क्या है; स्कूलों और कालिजों में शारीरिक शिक्षा कैसे अनिवार्य बनाई जाये विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिये किस प्रकार की शारीरिक शिक्षा दी जाये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्कूलों और कालिजों में अभी तक जो फ़िजीकल ऐजुकेशन दी जाती थी उस में क्या कोई कमी महसूस की गई या कोई और कारण है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, मैं समझता हूं कि जो फिजीकल एजुकेशन का

शिक्षा क्रम इस समय चालू है उस में तरक्की की काफी गुंजाइश है ।

श्रीमती ए० काले: इस विषय में क्या लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिये कुछ किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां । जो बातें पूछी गई हैं उन में, मेरा अनुमान है यह भी शामिल है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि मुख्य समिति कब नियुक्त हुई थी तथा अभी तक बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: विस्तृत जांच करने का विचार नहीं था । हमारे पास कुछ आंकड़े हैं । मुझे मालूम नहीं कि समिति की कितनी बैठकें हुईं । मेरे पास यहां सूचना नहीं है । परन्तु उन से कहा गया है कि रिपोर्ट शीघ्र पूरी करें ।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सत्य नहीं है कि बोर्ड १९५० में नियुक्त हुआ था तथा उस की अभी तक केवल एक-दो बैठकें हुई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझ से भूल हो सकती है परन्तु जहां तक मेरा ख्याल है बोर्ड १९५० के बाद ही नियुक्त हुआ था ।

श्री वी० पी० नायर: कब नियुक्त हुआ था ?

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें नहीं मालूम ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या सरकार समिति को यह सुझाव देगी कि वह इस बात की भी जांच करे कि इस शिक्षा के साथ कितनी सैनिक शिक्षा दी जा सकती है ?

श्री के० डी० मालवीय: श्रीमान्, यह केवल सुझाव है ?

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या इस में भारतीय शारीरिक शिक्षा जैसे योगासन आदि भी सम्मिलित कर ली गई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने अभी रिपोर्ट पर विचार नहीं किया है ।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति के सदस्य कौन हैं, क्या क्षेत्रीय आधार पर कोई समिति नियुक्त की गई है, और यदि हां, तो मद्रास समिति के सदस्य कौन हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: इस समिति को क्षेत्रीय आधार पर बनाने का विचार नहीं था । इस समिति के सदस्य हैं—श्री पी० एम० जोसेफ, प्रिंसिपल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फार फिजीकल एजुकेशन, कानजीविली, बम्बई, श्री सी० सी० अब्राहम, प्रिंसिपल वाई० एम० सी० ए० कालिज आफ फिजीकल एजुकेशन, मद्रास, श्री एच० वी० देशपांडे, लियेजान एन्ड वैलफेयर आफीसर, होमगार्डस्, गवर्नमेंट आफ मध्य प्रदेश, अमरावती, और श्री एस० एम० हादी, मस्कन सोमाजगुडा, हैदराबाद ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विषय में भारतीय ओलेम्पिक एसोसियेशन की भी राय ली गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं ने समिति के सदस्यों के नाम दे दिये हैं । ये सदस्य इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर: मैं ने पूछा था कि क्या भारतीय ओलेम्पिक एसोसियेशन की भी राय ली गई थी ।

श्रीमती ए० काले: क्या मैं जान सकती हूं कि इस समिति में सदस्यायें क्यों नहीं हैं जब कि स्कूलों आदि में लगभग ५० प्रतिशत लड़कियां होती हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब से कोई क्यों नहीं लिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : हर स्टेट से कैसे लिया जा सकता है ।

ये जानना चाहते हैं कि क्या सदस्य राज्यों के अनुसार लिये गये हैं, क्या इस में कोई क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है ।

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान् मैं कह चुका हूं कि क्षेत्रीय आधार पर समिति बनाने का विचार नहीं था ।

सुरक्षित निक्षेप कक्ष (सेफ डिपाज़िट वाल्ट)

*५९२. **डा० एम० एम० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि भारत में सुरक्षित निक्षेप कक्ष की कुल संख्या क्या है ?

(ख) इन कक्षों की कार्यवाहियों को व्यवस्थित रूप में लाने और इन का नियंत्रण करने के लिये क्या कोई विधान वर्तमान है ?

(ग) यदि सरकार ने निक्षेपकों की रक्षा के लिये कोई उपाय निकाले हैं, तो वे क्या हैं ? और

(घ) क्या सरकार को किसी व्यक्ति की निक्षेप की वस्तुओं को खोलने और उन की जांच करने का अधिकार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) आवश्यक जानकारी प्राप्त नहीं है, और यह इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये कोई विशेष विधान नहीं है ।

(ग) न तो कोई विशेष उपाय किये गये हैं, और न ही अब तक इस की कोई आवश्यकता ही समझी गई है ।

(घ) सरकार को इन निक्षेपों की वस्तुओं को खोलने और पड़ताल करने का कोई विशेष अधिकार नहीं है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सुरक्षित निक्षेप कक्ष सरकार को साप्ताहिक आर्धमासिक अथवा मासिक विवरण प्रस्तुत करते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : जी नहीं । ऐसी पद्धति नहीं है । केवल बैंकों के मामले में, जहां उन के सुरक्षित निक्षेप कक्ष होते हैं । रिजर्व बैंक कुछ रिपोर्ट और विवरण मांग सकता है । परन्तु ऐसा सामान्यतः नहीं होता ।

श्री आल्तेकर : क्या मैं पूछ सकता हूं कि कितने सुरक्षित निक्षेप कक्षों का सम्बन्ध प्राइवेट बैंकों से है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य का प्राइवेट बैंकों से क्या अभिप्राय है ।

श्री आल्तेकर : गैर-अनुसूचित बैंक ।

श्री ए० सी० गुहा : मुझे इस की जानकारी नहीं, अतः मैं इस के लिये सूचना चाहता हूं ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निक्षेप के समय निक्षेप की गई वस्तुओं का कोई मूल्यांकन किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : क्या फ़र्म के द्वारा ? अवश्य किया जाना चाहिये । परन्तु जैसा मैं ने पहले ही बतलाया, सरकार के पास अभी तक कोई व्यवहार्य अधिकार नहीं है । माननीय सदस्य ने इस की ओर ध्यान दिलाया है । और मैं समझता हूं कि सरकार सब सुझावों पर विचार करेगी और देखेगी कि इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है ?

डा० एम० एम० दास : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा जांच अधिनियम के आयोगों के अधीन स्थापित की गई पड़ताल निकाय, जांच आयोग या जांच समिति

को इन सुरक्षित निक्षेप कक्षों की वस्तुओं को खोलने तथा उन का परीक्षण करने का अधिकार है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह उपकल्पित प्रश्न है। कानूनी स्थिति तो यह है कि कक्षों को केवल सुरक्षित निक्षेप कक्षों के अधिकारी और निक्षेपकों दोनों के द्वारा इकट्ठा खोला जाता है, और सामान्यतया सरकार के पास इन कक्षों को खोलने का कोई अधिकार नहीं है ।

श्री टी० ए न० सिंह : क्या सरकार को पता है कि कई मामलों में किन्हीं व्यक्तियों की आस्तियों और ब्लैक मार्केट के रुपये को छुपाने के लिये इन सुरक्षित निक्षेप कक्षों का दुरुपयोग किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, यह तो केवल एक जानकारी दी गई है, जिस पर विचार किया जायगा ।

श्री नानादास : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार इन कक्षों को नियंत्रित करने के लिये कोई उपाय सोच रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह भी एक सुझाव है, जिस पर यथा समय विचार किया जायगा ।

आई० एन० एस० वेन्दुरथी

*५९३. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोचीन के विलिंगडन द्वीपों में स्थित भारतीय मुख्य प्रशिक्षण-प्रतिष्ठान आई० एन० एस० वेन्दुरथी के स्वरूप को बदलने के लिये कितने खर्च का अनुमान लगाया है, जो कि:

(१) पुरानी बनावट के स्थान पर स्थायी भवनों का निर्माण करके, और (२) नौ सेना के भवन निर्माण कार्य-क्रम के लिये भूमि का अधिग्रहण करके, और (३) भूमि का सुधार करके, और (४) झाम की कार्यवाहियों के द्वारा किया जायगा ?

(ख) कार्यक्रम के कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम किये जाने के बाद कौन सी योजनाओं को कार्यरूप में लाया जायगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क) (१) लगभग ५ १।२ करोड़ रुपये ।

(२) लगभग ५ लाख रुपये ।

(३) लगभग ५१ लाख रुपये ।

(ख) यदि पर्याप्त निधि हुई तो सारी योजना १९६० तक पूरी हो जायेगी, ऐसी आशा है ।

(ग) इस समय किसी कार्यवाई का विचार नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि रहने के स्थान की समस्या का निधान कैसे किया जा रहा है, और यह कि इस को किस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : मैं यहां कठिनाइयों का वर्णन करना चाहता हूं कि विभाजन के पश्चात हमारे रहने के स्थान का दो तिहाई भाग पाकिस्तान में चला गया, और केवल तीसरा भाग हमारे हिस्से में आया, जब कि सेनाएं हमारे पास दो तिहाई आईं । यह बड़ी समस्या है और सरकार इस समस्या की गंभीरता को अनुभव करती है । हम इस को सब से पहले लेंगे । परन्तु इस के लिये निधि की उपलब्धि होनी चाहिये : निधि की कमी के कारण, हम इस को उतनी जलदी से नहीं कर सके , जितनी जलदी हम करना चाहते थे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जानना चाहता हूं जो इस केन्द्र से लाभ उठा रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : मुझे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या का पता नहीं है। भूमि के इस हिस्से में बहुत से स्कूल खुलने वाले हैं, अर्थात् गन चलाने की सिखलाई का स्कूल, नौपरिवहन स्कूल, एन्टी सबमेरीन स्कूल, तथा अनेक दूसरे स्कूल ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और भूमि-सुधार का काम प्रारम्भ हो चुका है ?

श्री वैलायुधन : भवन निर्माण कार्यक्रम के लिये भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या भूमि-अधिग्रहण विधि के विरुद्ध राज्य सरकारों ने कोई आपत्ति तो नहीं उठाई ?

सरदार मजीठिया : क्योंकि हम ने स्तर विधि को अपनाया था, अतः राज्य सरकारों ने भूमि-अधिग्रहण-विधि के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की। अधिक भूमि को अधिग्रहति करने के लिये हम पहले से वर्तमान विधि से बाहर नहीं चलते । जैसा मैं ने बतलाया, भूमि-सुधार का काम पहले से ही चल रहा है। उसके अतिरिक्त, उस द्वीप को बढ़ा रहे हैं। हम इस प्रकार अधिक भूमि को प्राप्त कर सकेंगे ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य के अन्दर के हमारे भाग में प्रचलित समाचार पत्रों द्वारा अभिव्यक्त किये गये भय पर विचार किया है कि चेलानम और उसके समीपवर्ती स्थान में बड़े पैमाने पर होने वाले समुद्र के कटाव से द्वीप और वहां के रहने वालों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैं ने बतलाया भूमि का सुधार हो रहा है । हम प्रकृति का मुकाबला करने के लिये संभव बचाव कर रहे हैं । जो कुछ हम कर रहे हैं, उससे अधिक करना हमारे लिये संभव नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं सरकार द्वारा की गई कार्यवाइयों के कार को जान सकता हूं ?

सरदार मजीठिया : इतने अल्प समय में इसको बतलाना कठिन है, । क्योंकि माननीय सदस्य उसी स्थान के हैं, अतः मझे विश्वास है कि उन्हों ने उनको देखा है ।

श्री पुन्नूस : मैं ने देखा है, इसीलिये तो पूछ रहा हूं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा समुद्र पाटने के इस प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त किये गये विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? और यदि ऐसा है, तो उनकी मुख्य सिपारिशें क्या हैं ?

सरदार मजीठिया : इस समय मेरे पास रिपोर्ट नहीं है । परन्तु विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर योग्य विचार किया जायगा और इसको उचित स्थान दिया जायगा ।

श्री ए० एम० टामस : क्या उन्हों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हों ने प्रस्तुत कर दी है, अन्यथा इस पर कैसे विचार किया जा सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि समुद्र पाटने का जो काम हो रहा है, उस में अब तक कितनी तरक्की हुई है और कितना समुद्र पाटा जा चुका है ?

सरदार मजीठिया : केवल तीन महीने पहले ये कार्यवाइयां शुरु हुईं और इतने अल्प समय में ठीक अनुमान से बतला सकना वास्तव में बड़ा कठिन है । परन्तु भूमि सुधारी जा रही है, और द्वीप धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को पता है कि समुद्र तट पर बांधे जा रहे बालू के बंध व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : प्रश्न आई० एन० एस० बेन्दुरथी का है, परन्तु माननीय सदस्य भूमि के दूसरे भाग की बात कर रहे हैं, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं है। वह भूमि अलग मंत्रालय में है। मैं उनके लिये उत्तर नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

विश्व विकास निधि

*५९४. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व विकास निधि बनाने के सम्बन्ध में भारतीय प्रस्ताव किस स्थिति में है जिस का समर्थन भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में गत साढ़े चार वर्ष से कर रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : संभवत: माननीय सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकार के अधीन अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि के स्थापन की ओर निर्देश कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने इस प्रस्ताव का निरीक्षण किया है। समिति के प्रतिवेदन पर हाल में ई० सी० ओ० एस० ओ० सी० के १६वें सत्र में चर्चा की गई थी और इस पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अगले सत्र में फिर चर्चा होगी यह कहना ठीक नहीं कि यह भारत का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों ने प्रस्तुत किया है और भारत इसका समर्थन करता रहा है, परन्तु यह प्रस्ताव मूल रूप में [illegible] में स्थित था जो डा० वी० के० आर० वी० राव ने आर्थिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक उप-आयोग के सभापति पद से किया था।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि इस प्रस्ताव के कामयाब होने में अब तक जो विलम्ब हुआ है उसका क्या कारण है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मतविसंवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मत भेद।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब भारत की ओर से क्या प्रयत्न किया जा रहा है?

श्री सी० डी० देशमुख : भारत की ओर से तो उसका समर्थन किया जाता है।

डा० एम० एम० दास : जिस संस्था पर चर्चा की जा रही है उस के ठीक उद्देश्य क्या हैं ? ये उद्देश्य किन प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा विकास बैंक के उद्देश्यों से भिन्न हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : उद्देश्य दीर्घ-कालीन आधार पर विकास करने का है परन्तु जिस प्रकार बैंक व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रस्तावों की जांच करता है उस रीति से नहीं।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह निधि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के अंशदानों द्वारा बनी है अथवा किसी विशेष देश ने दी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं समझता कि प्रस्ताव का वह निश्चित रूप बन चुका है जिस से मैं प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि निधि का ठीक क्या रूप होगा। जो गत चर्चा हुई थी वह निधि को चलाने के लिये आवश्यक प्रावैधिक पगों के सम्बन्ध में थी न कि इस के विधान पर।

कुमारी एनी० मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या इस विकास निधि के कार्य विश्व बक के कार्यों से भिन्न हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे उत्तर को देखते हुए यह सब प्रश्न अभी नहीं पूछे जाने चाहियें ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सी० डी० देशमुख: जी हां, निधि के रूप पर इस समय चर्चा हो रही है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रैसिडैंट आईज़न हावर का बड़े देशों द्वारा विकास निधि में अंशदान देने के सम्बन्ध में हाल का वक्तव्य प्रस्तावित निधि के सम्बन्ध में है?

श्री सी० डी० देशमुख : इस का सम्बन्ध इस प्रकार है कि संभवतः इस के द्वारा ऐसी निधि आरम्भ करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अमेरिका के व्यवहार पर प्रभाव पड़े ।

श्री अलगूराय शास्त्री : मैं यह जानना चाहता था कि इस कोष के निर्माण में भारत का कितना भाग होगा भारत कितना रुपया देगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसका उत्तर मैं तुरन्त नहीं दे सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन पर वार्तालाप और चर्चा हो रही है । अगला प्रश्न ।

पटियाला नगरपालिका (कार्यकारिणी अधिकारी) अधिनियम

*५९५. **श्री पुन्नूस** : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि २४ मई, १९५३ को पटियाला में नगरपालिका के निर्वाचित सभापतियों और परामर्शदाताओं की बैठक में पटियाला नगरपालिका (कार्यकारिणी अधिकारी) अधिनियम के और नगरपालिकाओं पर प्रवर्तन और उसके अधीन नगर पालिका अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में शिकायत की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) गत वर्ष यह अधिनियम ७ नगरपालिकाओं अर्थात् भटिंडा, फरीदकोट, नाभा, संगरूर, मंसा, फगवाड़ा, तथा नरनौल पर लागू किया गया था । राज्य सरकार को इन बड़ी नगर पालिकाओं में प्रशिक्षित और अनुभवी कार्यकारिणी अधिकारियों की आवश्यकता का विश्वास हो गया है । इन नगरपालिकाओं में कार्यकारिणी अधिकारी एक वर्ष परीक्षण-काल के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए थे, तो भी राज्य सरकार उन कार्यकारिणी अधिकारियों के स्थान पर जो अपने परीक्षण काल के अन्त में नगरपालिका प्रशासन में अनुभव अथवा ज्ञान से हीन होने के कारण अनुपयुक्त समझे गए हैं, अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने का विचार कर रही है ।

श्री पुन्नूस: मैं जान सकता हूं कि पैप्सू की कितनी नगरपालिकाओं पर यह अधिनियम लागू किया गया है ?

डा० काटजू : इसे और ७ पर लागू किया गया है । इस से पूर्व, 'मेरे विचार में यह पटियाला और कुछ अन्य स्थानों पर लागू था' । मैं नाम नहीं बता सकता ।

श्री पुन्नूस : क्या इन अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतनों के सम्बन्ध में कुछ बताया जा सकता है ?

डा० काटजू : मुझे खेद है कि मैं यह जानकारी नहीं दे सकता । मैं नाम तथा अन्य विवरण दे सकता हूं परन्तु वेतन नहीं बता सकता ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इन अधिकारियों की

नियुक्तियों में पक्षपात और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और कहा जाता है कि भूत-पूर्व मंत्रियों के सम्बन्धियों को इस तथ्य के होते हुए भीकि वे इन नियुक्तियों के लिए योग्यताएं नहीं रखते, नियुक्त किया जा रहा है ?

डा० काटजू : वर्तमान सरकार का यह विचार है कि जो अधिकारी परीक्षणकाल के लिये नियुक्त किये गये थे वे अनुभव हीन हैं और वे नियुक्त नहीं किये जाने चाहिएं थे । माननीय मित्र द्वारा प्रयोग की गई भाषा स्वभाव की बात है ।

श्री पुन्नूस : मैं कहना चाहता हूं कि मैंने यह भाषा नगरपालिकाओं के निर्वाचित सभापतियों की संस्था के पत्र में से ली है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि इन नियुक्तियों के लिये कौन उत्तरदायी है क्या नियुक्ति से पूर्व इन अधिकारियों की तथा कथित उपयुक्तता का ध्यान रखा गया था ?

डा० काटजू : राष्ट्रपति द्वारा अधिक्षण अधिकार लेने से पूर्व पुरानी सरकार ने नौकरियों के लिये विज्ञापन दिया था और मैं समझता हूं कि स्थानीय स्वायत्त शासन के व्यक्ति चुने थे। तथा उन्हें नियुक्त किया था। मंत्री ने उम्मीदवारों की स्वयं मौखिक परीक्षा की थी और मौखिक परीक्षा करने के पश्चात् उन्होंने कुछ निर्णय किये थे और कुछ व्यक्ति चुने थे तथा उन्हें नियुक्त किया था ।

सरदार हुकम सिंह : क्या यह तथ्य है कि इस आदेश के प्रवर्तन से पटियाला नगरपालिका अधिनियम अवक्रांत हो गया है और एक कार्यकारिणी अधिकारी बाहर से नियुक्त किया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रार्थनापत्र मांगे गये थे, किसी पत्र में सूचना दी गई थी अथवा उम्मीदवारों की किसी लोक सेवा आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा की गई थी ?

डा० काटजू : मुझे इस विशेष प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिए ।

पी० टी० ओ० सुविधा

*५९६. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के कर्मचारियों को पी० टी० ओ० की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वह निर्णय क्या है ?

(ग) यदि नहीं तो निर्णय कब किया जायेगा और देरी किस कारण है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग)। यह निर्णय किया गया है कि पी० टी० ओ० सुविधा का प्रश्न अभी अनिर्णीत रहना चाहिए ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : इस सम्बन्ध में वेतन आयोग की क्या सिफारिश है ? मैं समझता हूं कि उन्होंने यह सुविधा देने की सिफारिश की है ।

श्री दातार : आर्थिक कठिनाइयों तथा अन्य उलझनों के कारण इस सुविधा को पुनः आरम्भ करना असंम्भव समझा गया है ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यह मामला सरकार के पास कब से विचाराधीन है ?

श्री दातार : यह मामला दो तीन वर्ष से विचाराधीन है । इसे २१ मास के लिये प्रवर्तित किया गया था । फिर इसे वापस ले लिया गया । इसे पुनः आरम्भ करना संभव नहीं हो सका ।

श्री एन० एम० लिंगम : सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई

भत्ते में उत्तरोत्तर कमी के कारण क्या सरकार इस प्रश्न को फिर शीघ्र उठाएगी ?

श्री दातार : यह आश्वासन देना संभव नहीं ।

श्री ए० एम० टामस : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को विदित है कि रेल मंत्री ने आय-व्ययक चर्चा के उत्तर में सभा में बताया था कि सारे प्रश्न का पुनर्निरीक्षण किया जायेगा यदि ऐसा है तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

श्री दातार : प्रश्न का पुनर्निरीक्षण किया गया था परन्तु वर्तमान परिस्थितयों के आधीन इसे लागू करना संभव नहीं हो सका।

श्री मुनिस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या डाक तथा तार घर की ओर से पी० टी० ओ० सुविधा के सम्बन्ध में कोई पत्र मिला है और क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

श्री दातार : मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या अधिकारियों की कोई ऐसी श्रेणियां हैं जो पी० टी० ओ० सुविधा के अधिकारी हैं ?

श्री दातार : अधिकारियों की कोई श्रेणी सुविधा का अधिकार नहीं रखती ।

श्री वैलायुधन : क्या सरकार को विदित है कि यह सुविधा बन्द करने से दक्षिण भारत के अधिक कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है। क्या इसी कारण सरकार ने इस मामले पर गंभीरता से विचार नहीं किया ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे आक्षेप करने की अनुज्ञा नहीं दूंगा ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को कर्मचारियों के विभिन्न भागों की ओर से प्रार्थनापत्र और शिकायतें मिली हैं ।

श्री दातार : सरकार को कई भागों से अभ्यावेदन मिलते रहे हैं ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने उस आर्थिक भार की जांच की है जो सुविधा देने पर इसे उठाना पड़ेगा ?

श्री दातार : न केवल आर्थिक उलझनों पर विचार किया गया था वरन् रेल में स्थान के प्रश्न पर भी विचार किया गया परन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने यह निर्णय किया है कि वह इसे विचाराधीन रखे ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : मैं जान सकता हूं कि किन परिस्थितियों के अधीन पी० टी० ओ० की सुविधा अनिर्णीत रखी गयी तथा किस वर्ष ऐसा किया गया ?

श्री दातार : पी० टी० ओ० की सुविधा सितम्बर १९४९ से बन्द की गई ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या रेलवे को ऐसी सुविधा प्राप्त है ?

श्री दातार : मुझे उस का पता नहीं परन्तु मेरा विचार है कि वे देते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं उन सरकारी कर्मचारियों की माध्य संख्या जान सकता हूं जो इसे बन्द करने से पूर्व प्रति वर्ष इस का लाभ उठाते थे ?

श्री दातार : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर विचार किया है जो पी० टी० ओ० बन्द करने से सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा ?

श्री दातार : सरकार ने मनोवैज्ञानिक, आर्थिक तथा अन्य सब बातों पर विचार किया है और खेद है कि वह इस निर्णय पर पहुंची है कि इसे बन्द रखा जाये ।

श्री एन० पी० दामोदरन : मैं जान सकता हूं कि क्या इस का अत्याधिक बुरा प्रभाव दक्षिण भारत के लोगों पर पड़ा है और बहुत से दक्षिण के सरकारी कर्मचारी गत चार पांच वर्ष से अपने घर नहीं जा सके ?

श्री दातार : यह बहुत संभव है कि दक्षिण के कर्मचारियों को यह कठिनाई अनुभव हुई हो परन्तु यह कठिनाई केवल दक्षिण के कर्मचारियों के लिये नहीं है वरन् भारत के सब भागों के लोगों के लिये है।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल

*५९७. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय सेना छात्र दल (कनिष्ठ तथा ज्येष्ठ शाखायें) का पूर्ण संख्या बल, जैसा कि ३१ जुलाई, १९५३ को था ; तथा

(ख) इसे विकसित करने के लिये और क्या पग उठायें जा रहे हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) ३१ जुलाई, १९५३ को विभिन्न डिवीज़नों में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का संख्या बल इस प्रकार था :

	पदाधिकारी	सेना छात्र	पूर्ण योग
ज्येष्ठ डिवीज़न	६७५	२६,७९०	२७,४६५
कनिष्ठ ,,	१,६१२	५३,०७९	५४,६९१
बालिका ,,	१८	५४०	५५८
पूर्ण योग	२,३०५	८०,४०९	८२,७१४

(ख) राष्ट्रीय सेना छात्र दल का प्रसार वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर धन की प्राप्यता के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय सेना छात्र दल की अनुपूर्ति करने के लिये सहायक सेना छात्र दल बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है जो सामुदायिक ड्रिल तथा शारीरिक अभ्यास आदि की बहुत कम खर्चे पर व्यवस्था कर सकेगा।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या कुछ राज्यों ने कनिष्ठ सेना छात्र दल को चालू रखने में अनिच्छा व्यक्त की है ?

श्री दातार : मैं समझता हूं कि एक राज्य ने तो जरूर ऐसी सम्मति प्रकट की थी परन्तु इसके विपरीत मनीपुर, जम्मू तथा काश्मीर, भोपाल और बिलासपुर राज्यों में सेना छात्र दल विभिन्न कठिनाइयों के कारण अभी तक स्थापित ही नहीं हो पाये हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह नया प्रशिक्षण एक ही आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिये अभिप्रेत है या भिन्न भिन्न आयु वर्गों के विद्यार्थियों के लिये और इस प्रशिक्षण का खर्चा सेना छात्रों के प्रशिक्षण के खर्चे से कितना कम होगा ?

सरदार मजीठिया : सहायक सेना छात्र दल और राष्ट्रीय सेना छात्र दल में अन्तर प्रशिक्षण में है। उदाहरण के लिये राष्ट्रीय सेना छात्र दल में ड्रिल के साथ साथ शस्त्रास्त्रों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है जब कि सहायक सेना छात्र दल में यह नहीं दिया जायेगा। इसके अलावा कुछ और भी भेद हैं। परन्तु मुख्य भेद वर्दी में होगा जो कि सहायक सेना छात्र दल में बहुत सस्ती होगी और इसका मूल्य आंशिक रूप से सम्बन्धित संस्था द्वारा तथा आंशिक रूप से स्वयं सेना छात्रों द्वारा दिया जायेगा।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेन्ट ने आग्ज़िलरी केडेट कोर किन किन प्रान्तों में शुरू करने का निश्चय किया है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि इस वर्ष निश्चय किया गया, सहायक ऐना छात्र दल निदेशक की सिफ़ारिशें तथा संस्थाओं से धन प्राप्त होते ही स्थापित हो जायेगा ।

गुजरात के पूर्व शासकों को विशेषाधिकार

***५९८. श्री दाभी**: क्या राज्यों के मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गुजरात के पूर्व-शासकों, जिनके राज्य बम्बई राज्य में विलीन कर दिये गये हैं, को प्रत्याभूत विशेषाधिकार ; तथा

(ख) क्या ये विशेषाधिकार किन्हीं शर्तों के अधीन दिये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) भारत के अन्य शासकों के साथ साथ गुजरात राज्य के शासकों को भी वही वैयक्तिक विशेषाधिकार प्रत्याभूत किये गये हैं जो उन्हें १५ अगस्त, १९४७ से तुरन्त पूर्व राज्य के भीतर या बाहर प्राप्त थे । इनके अतिरिक्त अन्य कोई विशेषाधिकार प्रत्याभूत नहीं किये गये हैं ?

(ख) जी नहीं ।

श्री दाभी: क्या यह सच है कि ये शासक व्यवहार तथा दंड प्रक्रिया से उन्मुक्त हैं, भारतीय शस्त्र अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त हैं और उन्हें अपने झंडे फहराने की अनुमति है ?

डा० काटजू: जहां तक शस्त्र अधिनियम से उन्मुक्ति का प्रश्न है, मैं समझता हूं यह बात ठीक है । जहां तक झंडा फहराने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं यह भी सत्य है । हां, व्यवहार तथा दंड प्रक्रिया से उन्मुक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी: वे कौन से वैयक्तिक विशेषाधिकार हैं जिनका कि ये शासक उपयोग कर रहे हैं ? उन्हें ये विशेषाधिकार कब तक मिलते रहेंगे ?

डा० काटजू: जब तक कि संविधान इस रूप में लागू रहा आयेगा, उन्हें ये विशेषाधिकार मिलते रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय: वैयक्तिक विशेषाधिकार क्या हैं ?

डा० काटजू: मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में एक विवरण मार्च में सदन पटल पर रखा गया था । मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस ओर दिलाता हूं ।

श्री बी० एस० मूर्ति: ये विशेषाधिकार वैयक्तिक हैं या वंश क्रमागत ?

डा० काटजू : विशेषाधिकार ऐसे उत्तराधिकारी को भी मिल जाते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा किसी शासक का उत्तराधिकारी अभिज्ञात कर लिया जाये ?

श्री पुन्नूस : माननीय मंत्री ने कहा कि विशेषाधिकारों की सूची वे सदन पटल रख पर देंगे । क्या इसका मतलब यह है कि शासकों को बहुत अधिक वैयक्तिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: वह पहिले ही रखी जा चुकी है ।

डा० काटजू: अधिक तो नहीं हैं, थोड़े से ही हैं जो उसमें उल्लिखित हैं ।

संस्कृत के हस्तलिखित ग्रंथ

***५९९. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि संस्कृत के बहुत से महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ यूरोपीय देशों में रखे हुये हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें प्राप्त करने के लिये कार्यवाही करने का है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, परन्तु भारत सरकार को हस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या के विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) भारतीय कला कृतियों को, जिनमें हस्तलिखित ग्रन्थ भी सम्मिलित हैं, वापस लाने के प्रश्न पर सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है और जब सम्भव होगा, इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही भी की जायेगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या 'इंडिया आफ़िस' के पुस्तकालय में भी हस्तलिखित ग्रन्थ हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । पुराने 'इण्डिया आफ़िस' पुस्तकालय में संस्कृत के तथा कुछ पाली के भी हस्तलिखित ग्रन्थ हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सरकार का विचार उन्हें भारत वापस लाने का है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । इस प्रश्न पर पाकिस्तान तथा भारत के बीच विचार विनिमय हो रहा है और उसमें कोई विनिश्चय होते ही ब्रिटिश सरकार को लिखा जायेगा ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को स्मरण है कि जिस समय शिक्षा मंत्री जी थोड़े दिन पहले विदेश जा रहे थे, उस समय उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि उन के दौरे में वह इस बात की जांच करेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि ये संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थ यहां ले आये जायं ? क्या उन्होंने अपने दौरे में इस बात का प्रयत्न किया था और यदि किया था तो उस का क्या नतीजा निकला ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, प्रयत्न किया था और उस सिलसिले में अब भी विचार हो रहा है । इस सिलसिले में पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी लिखा गया था, और उन की राय भी जानी जा रही है । जैसा मैं ने अभी निवेदन किया जिस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट एक राय पर क़ायम हो जावेंगी उस वक्त इस बारे में और आगे कार्रवाही की जायेगी ।

श्री आल्तेकर : क्या हस्तलिखित ग्रंथों के भारत से विदेशों को ले जाये जाने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे तो ऐसी किसी रोक का ज्ञान नहीं है ।

श्री आल्तेकर : क्या सरकार ऐसी कोई रोक लगाने का इरादा कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो रोक लगाने का सुझाव दे रहे हैं ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सरकार ने विदेशों में रखे हुये संस्कृत के दुष्प्राप्य हस्तलिखित ग्रन्थों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने के लिये कोई पग उठाये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार ने अपने दूतालयों को लिखा है कि अन्य भारतीय प्राचीन कला कृतियों के साथ साथ इनके सम्बन्ध में भी जानकारी इकट्ठी की जाये ।

श्री वैलायुधन : क्या सरकार ने उन हस्तलिखित ग्रन्थों तथा ऐतिहासिक प्रलेखों को वापस लाने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं जो मलाबार तट से डच तथा पुर्तगालियों द्वारा ले जाये गये थे ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सम्बन्ध में मेरे पास इस समय कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को ज्ञात है कि तामिलनाड के हस्तलिखित ग्रन्थ हमारे देश से ले जाये गये हैं, और क्या उनका पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न केवल संस्कृत से सम्बन्ध रखता है ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या बोड्-लियन या ब्रिटिश म्यूज़ियम जैसे स्थानों से संस्कृत के उन हस्तलिखित ग्रन्थों की फोटो लाने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक सुझाव है जिस पर सरकार विचार करेगी ।

केन्द्रीय भू-भौतिकी बोर्ड

*६००. **श्री हेडा** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय, भू-भौतिकी बोर्ड ने राजस्थान गुजरात, सौराष्ट्र और हैदराबाद में पानी की सतह की गहराई सम्बन्धी प्राप्य जानकारी एकत्र की है ?

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफ़ारिशें क्या हैं ?

(ग) क्या उसने कोई ऐसा तरीक़ा निकाला है जिससे यह पता लग सके कि किसी स्थान विशेष पर पानी कितनी गहराई पर मिल सकता है ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) । बोर्ड ऐसी सब जानकारी इक्ट्ठी कर रहा है जो इस विषय पर प्राप्य है ।

(ग) पानी की सतह की गहराई मालूम करने के भू-भौतिकीय तथा भूतत्वीय तरीक़े तो पहले ही ज्ञात हैं और भारत-भूतत्वीय-परिमाप तथा अन्य संस्थायें उनका प्रयोग भी करती हैं ।

श्री हेडा : प्रश्न यह है कि किसी ख़ास जगह पर पानी कितनी गहराई पर मिल सकता है यह मालूम करने के लिये क्या कोई आयोजन किया गया है न कि यह कि पूरे एरिया में ऐवरेज डैप्थ मालूम करने के लिये । यह मालूम करना है कि किसी ख़ास जगह पर पानी की गहराई क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : किसी ख़ास जगह पर गहराई नापने के विषय में सैंट्रल बोर्ड आफ़ जीयोफ़िज़िक्स का काम नहीं है कि ऐसा टैक्नीक वह कोई निकाले वह कोई ऐसा तरीक़ा निकाले कि जिस से किसी ख़ास जगह की गहराई मालूम हो सके । लेकिन भूगर्भ के पानी की सतह का सरवे राजस्थान का जीयोलाजिकल सरवे के पास ह जिस से यह जाना जा सकता है कि पानी कहां है और कितना गहरा है ।

श्री हेडा : कुछ दिन पहले राजस्थान और सौराष्ट्र के लिये पानी महाराज की सेवायें प्राप्त की गयी थीं । उन्होंने जो कार्य किया और उस में जो कुछ हद तक सफलता मिली तो क्या उस का कोई टैकनीक डैवलैप किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पानी महाराज की कोशिशों की सफलता का कोई ज्ञान नहीं है । लेकिन जो वैज्ञानिक ढंग से इस समय सरवे हुआ है उस की सूचना मैं ने माननीय मैम्बर को दी और बताया कि उस का नक़शा हमारे पास है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : पश्चिमी बंगाल तट के निकट तेल का पता लगाने के लिये स्टैण्डर्ड वकुअम आयल कम्पनी मगनेटोमीटर तथा अन्य उपकरणों की सहायता से जो अनुसन्धान कर रही है, क्या उस सम्बन्ध में उक्त कम्पनी की उप-

पत्तियों से केन्द्रीय भू-भौतिकी बोर्ड को परिचित कराया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न तो राजस्थान में पानी की सतह तथा गहराई के सम्बन्ध में है ।

सेठ गोविन्द दास : क्या पानी महाराज अभी भी सरकारी काम में हैं और क्या उन पर अभी भी कुछ खर्च किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे मालूम है, नहीं ।

श्री रघुनाथ सिंह : आजकल पानी महाराज कहां है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सम्बन्ध में मैं माननीय मैम्बर को कोई भी सूचना नहीं दे सकता ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या उन को पेंशन दे दी गयी है ?

अदन में भारतीय चलार्थ

*६०१. **श्री हेडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल, १९५३ तक अदन में कितनी भारतीय चलार्थ परिचलन से हटा लिया गया ; तथा

(ख) अब भी अनुमानत: कुल कितना चलार्थ परिचलन में है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) ६,१०,९५,४२१ रुपये १३ आने २ पाई ।

(ख) भारत सरकार को ठीक ठीक जानकारी तो नहीं है, परन्तु ख्याल है कि इस समय अदन में रुपया चलार्थ परिचलन में नहीं है ।

श्री हेडा : सरकार अदन में भारतीय चलार्थ के परिचलन में कमी होने के क्या कारण समझती है ?

श्री ए० सी० गुहा : सन् १९५० में संयुक्त राजतन्त्र की सरकार ने भारतीय चलार्थ के वापस लिये जाने के लिये कहा था क्योंकि वह पूर्व अफ्रीकी शिलिंग को विधिमान्य सिक्के के रूप में चालू करना चाहती थी । अत: भारतीय चलार्थ वापस ले लिया गया । भारतीय चलार्थ में कमी होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । सम्पूर्ण चलार्थ ही वापस लिया गया है ।

विज्ञान मन्दिर

*६०२. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि सरकार देश भर में 'विज्ञान मन्दिरों' के नाम से अनेक वैज्ञानिक तथा गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का विचार कर रही है ?

(ख) इस प्रकार के कुल कितने गवेषणा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और कहां-कहां ?

(ग) इन केन्द्रों में किस प्रकार का गवेषणा कार्य किया जायगा ?

(घ) प्रत्येक केन्द्र को खोलने का क्या व्यय होगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ) । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद का इरादा प्रयोग के रूप में विज्ञान मन्दिरों की स्थापना करने का है । योजना का ब्यौरा तथा लागत का हिसाब तैयार किया जा रहा है । ये मन्दिर कोई गवेषणा कार्य नहीं करेंगे ; उनका काम निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देना होगा :

(१) मिट्टी तथा पानी का विश्लेषण ;

(२) पौधों के रोगों का निदान ;

(३) मनुष्य के रोगों तथा कमियों के बारे में निदान सम्बन्धी साधारण जांच ।

(४) वैज्ञानिक सूचना का प्रसार और प्रचार तथा आवश्यक सामग्री का वितरण ।

इनमें से पहला विज्ञान मन्दिर दिल्ली में प्रारम्भ किया जा चुका है ।

श्री गिडवानी : दिल्ली में प्रारम्भ किये गये केन्द्र की लागत क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय इस पर हम काफ़ी राशि व्यय नहीं कर रहे हैं । इस समय हम राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग-शाला से औज़ार तथा अन्य सामान ले रहे हैं । दिल्ली में किये गये प्रयोग जैसे ही निश्चयात्मक परिणाम देने लगेंगे तब हमारा इरादा और अधिक प्रयोग करने तथा कुछ और रुपया व्यय करने का है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : प्रश्न के भाग (घ) का उत्तर क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह अभी नहीं बतला सकते । सब औजार उधार लिये गये हैं ।

श्री गिडवानी : मैं ने अख़बारों में पढ़ा है कि दिल्ली में जो सदन निर्मित किया गया है उसकी लागत १६,००० रुपये है और वह श्री भटनागर द्वारा दान-रूप में दिया गया है । क्या यह सच है ?

श्री के० डी० मालवीय : दुर्भाग्यवश, दोनों कार्यक्रमों के बारे में कुछ भ्रम फैल गया है । विज्ञान मन्दिर डा० एस० एस० भटनागर की फ़ार्म पर स्थित है और रुड़की के "शैल-हाउस" से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । शैल-हाउस एक भिन्न प्रयोग है जो गवेषणा प्रतिष्ठान, रुड़की में किया जा रहा है । दैवयोग से, यहां वाला सदन डा० भटनागर द्वारा दिये गये रुपये से उनकी फ़ार्म में बनाया गया था । उन्होंने हमें कृपा करके इस समय उसे उधार दे दिया है । यदि यहां प्रयोग सफल हुये, तो उनकी मर्ज़ी से, उस सदन को अधियाचित कर लेने का विचार है ।

श्री गिडवानी : इस समय यह उधार दिया हुआ है अथवा दान-रूप में प्रदान किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : उधार दिया हुआ है ।

श्री गिडवानी : तब क्या अख़बारों में छपा हुआ समाचार ग़लत है ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य को सदा प्रेस रिपोर्टों पर विश्वास नहीं करना चाहिये ।

श्री अमजद अली : क्या मैं जान सकता हूं कि विज्ञान मन्दिरों की स्थापना से पूर्व पूर्वेक्षण तथा निर्दशन अधीक्षण किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : अधीक्षण करने का कोई विचार नहीं है । इस विज्ञान मन्दिर की स्थापना का प्रयोजन किसानों की दिन प्रति दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है जैसे मिट्टी और पानी का विश्लेषण, पौधों की बीमारियों का निदान इत्यादि ।

श्री बी० एस० मूर्ति : आगामी वर्ष के दौरान में कितने विज्ञान-मन्दिरों की स्थापना की जायेगी और क्या इस सम्बन्ध में मद्रास सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है ?

श्री के० डी० मालवीय : अभी तक किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ?

श्री गिडवानी : वह फ़ार्म जिस पर विज्ञान मन्दिर बसा हुआ है, प्राइवेट फ़ार्म है या सरकारी फ़ार्म ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्राइवेट फ़ार्म है ।

श्री गिडवानी : क्या विज्ञान मन्दिर प्राइवेट फ़ार्म में बनाया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : विज्ञान मन्दिर के लिये एक प्राइवेट फ़ार्म में एक प्राइवेट मकान ले लिया गया है ।

सोने का उत्पादन

*६०३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सोने का उत्पादन सन् १९५२ में सन् १९५१ की अपेक्षा बढ़ा है अथवा घटा है ;

(ख) इसका प्रतिशत ; और

(ग) उक्त दोनों वर्षों में विश्व के सोने के उत्पादन से इसकी तुलना ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सन् १९५२ में सोने के उत्पादन में वृद्धि हुई ।

(ख) ११·८ प्रतिशत ।

(ग)

	१९५१ औंस	१९५२ औंस
विश्व	२६,०१८,०००	२६,४००,०००
भारत	२२६,४७५	२५३,२५८

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : देश में सोने की नई खानें मालूम करने के लिये क्या भारत सरकार ने कोई पर्यवेक्षण किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : बहुत सी खानों के बारे में हमें पहले से ही मालूम है किन्तु किसी न किसी कारण से उनमें पूर्णतया काम नहीं किया गया है । इस समय नई सोने की खानों के लिये पर्यवेक्षण करने की आवश्यकता सरकार के सामने इतनी नहीं है क्यों कि हमारे पास काफी जानकारी मौजूद है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि उसी वर्ष जब कि सोने के उत्पादन में ११·८ प्रतिशत वृद्धि हुई है तो उसके मूल्य में केवल १० प्रतिशत ही कमी क्यों आई है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न मेरे माननीय मित्र श्री वित्त मंत्री जी से पूछा जाना चाहिये ।

श्री फ्रेंक एन्थनी : क्या माननीय मंत्री जी ठीक ठीक हमें यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ तथा १९५२ में कितना कितना उत्पादन हुआ और इस उत्पादन का अधिक भाग कहां प्राप्त हुआ ?

श्री के० डी० मालवीय : इसमें से लगभग सभी कोलार सोना खदानों से प्राप्त हुआ है । अन्य खानें भी हैं किन्तु उन पर लाभपूर्ण तथा सक्षम ढंग से कार्य नहीं हुआ है ।

श्री फ्रेंक एन्थनी : १९५१ तथा १९५२ में वास्तविक उत्पादन कितना था ?

श्री के० डी० मालवीय : ये आंकड़े मैं दे चुका हूं । ये इस प्रकार है :—

	१९५१ औंस	१९५२ औंस
भारत	२२६,४७५	२५३,२५८

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अन्य सोने की खानों में काम न करने के ठीक ठीक क्या कारण हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: उन खानों की गहराई इतनी पहुंच चुकी है कि उनमें लाभपूर्ण रूप से काम नहीं किया जा सकता ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा अथवा हैदराबाद की हट्टी सोना खदान कम्पनी द्वारा सोना-प्राप्ति का कोई संयंत्र लगाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी नहीं, किन्तु एक कम्पनी, जो हैदराबाद गोल्ड माइन्स लिमिटेड कहलाती है, हट्टी की सोना खदान पर कार्य कर रही है । सन् १९०३ से १९२० तक इसमें निज़ाम गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा काम किया जाता था और उसके बाद इसे उक्त कम्पनी द्वारा ले लिया गया । सन् १९४८ से जिन खानों में काम हो रहा है उनमें से दो मुख्य खानों में से एक यह है ।

फेटीग ड्यूटी

***६०४. श्री ए० के० गोपालन:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि विभिन्न आफ़िसर्स मेसों के जलसों जैसे दावतों, नाचों तथा अन्य मनोरंजनों के समय स्थानीय यूनिटों से सैनिकों को फेटीग ड्यूटी के लिये नियुक्त किया जाता है ?

(ख) यदि हां, तो इसे उनकी नियमित सैनिक सेवा का एक भाग समझा जाता है अथवा एक्स्ट्रा-रेजीमेंटल ड्यूटी समझा जाता है ?

(ग) क्या इस प्रकार के कार्यों के लिये उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है ?

(घ) ये फेटीग ड्यूटी अनिवार्य होती हैं अथवा ऐच्छिक ?

(ङ) यदि ये अनिवार्य होती है तो क्या इस बात का कोई सुरक्षण है कि सैनिकों की सेवाओं का दुरुपयोग नहीं किया जा गा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) से (ङ) । जी नहीं । दावतों, नाचों अथवा अन्य दिन प्रति दिन के मनोरंजनों के लिये सैनिक से फेटीग ड्यूटी नहीं ली जाती । किन्तु बड़े सरकारी जलसों जैसे रेजीमेंटल रीयूनिअन, टेक्नीकल ऐक्सरसाइजेज़ आदि पर तम्बू गाड़ने, मेज़ें लगाने इत्यादि के लिये सैनिकों से कार्य लिया जाता है । यह सरकारी ड्यूटी समझी जाती है और इसलिये कोई पारिश्रमिक देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पुन्नूस: क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि समय-समय पर अख़बारों में समाचार छपते हैं कि नाचों तथा अफ़सरों की पार्टियों इत्यादि के अवसर पर सैनिकों से फेटीग ड्यूटी ली जाती है ?

सरदार मजीठिया: मैं पहले ही स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि यह नहीं किया जाता । प्रेस समाचारों के विषय में मुझे यही कहना है कि वे सदा ही ठीक नहीं होते ।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ऐसे कुछ जलसों में गये हैं और क्या वहां उन्होंने स्थानीय यूनिटों को ऐच्छिक रूप से कार्य करते देखा है ?

सरदार मजीठिया: मैं कुछ जलसों में गया हूं, किन्तु मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है कि सैनिकों ने भाग लिया या नहीं अथवा जलसे पूर्णतया मेस द्वारा ही आयोजित किये गये थे क्योंकि अपने नियमित दिन प्रति दिन के कार्य के लिये मेस के पास पर्याप्त कर्मचारी होते हैं और वे काफ़ी अच्छी तरह यह काम करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय: जो प्रश्न को मूलत: पूछता है उसे अनुपूरकों की अनुमति पहले

दी जाती है । उसके समाप्त करने के पश्चात् मैं अन्यों को देखता हूं । जब मैं देखता हूं कि अब पूछने के लिये कोई नहीं है तो मैं अगला प्रश्न लेता हूं । खैर, श्री मुखर्जी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि उन अवसरों का कोई अभिलेख रक्खा जाता है जब कि सैनिकों से फेटीग ड्यूटी ली जाती है जिससे कि उन्हें यह सुरक्षण हो कि अफसरों द्वारा उनकी सेवाओं का दुरुपयोग न किया जाये ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैंने बतलाया, उनकी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या कोई अभिलेख रक्खा जाता है ?

सरदार मजीठिया : कोई अभिलेख नहीं रक्खा जाता ।

सेन्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो, जबलपुर म अग्निकांड

*६०५. **श्री ए० के० गोपालन :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि सेण्ट्रल आर्डिनेन्स डिपो, खमरिया, जबलपुर, में आग लग गई थी ?

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे ?

(ग) कुल कितनी हानि हुई ?

(घ) क्या अग्निकांड के कारणों में कोई जांच की गई थी ?

(ङ) यदि हां, तो उसके परिणाम ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) । इस दुर्घटना की जांच करने के लिये एक जांच न्यायालय की नियुक्ति की गई थी और उसके अन्तिम प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा है । किन्तु उनकी यह राय प्रतीत होती है कि आग शेड में रक्खे हुये दाहक पदार्थों के कारण लगी । सम्पत्ति को २६,२१० रु० की हानि हुई । किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंची ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जबलपुर की खमरिया फैक्टरी में जो यह आग लगी थी इस सम्बन्ध में जबलपुर में एक लम्बे अरसे से खबर उड़ रही है कि खमरिया फ़ैक्टरी में जो कुछ साम्यवादी लोग हो गये हैं उनके प्रयत्न से वहां पर आग लगी ?

सरदार मजीठिया : यह चीज़ तो मुझे माननीय सदस्य से ही मालूम हो रही है ।

सेठ गोविन्द दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई रिपोर्ट इन-क्वायरी कमेटी के सामने आई थी ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैं ने बतलाया, मेरे पास अभी जांच न्यायालय की रिपोर्ट नहीं आई है । जो कुछ सूचना मुझे मिल सकी है वह मैंने प्रस्तुत कर दी है । किन्तु रिपोर्ट के आते ही मैं उस जांच के सम्बन्ध में किये गये प्रश्नों के उत्तर दे सकूंगा ।

श्री नामधारी : क्या सरकार को इस सम्भावना में कुछ शंका है कि यह अग्निकांड ऐसे राजनीतिक दलों के कार्य के कारण हो सकता है जिनका कि काम ही विध्वंसक कार्यवाही करना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अपना अपना मत है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि दाहक द्रवों का संग्रहण एक नियमित प्रक्रिया है अथवा किसी ने दह जानबूझ कर किया ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैंने बत-लाया, ये सब बातें जांच न्यायालय के सामने आयेंगी । जब तक मुझे जांच न्यायालय की

जांच की रिपोर्ट न मिले, मेरे लिये यह कहना बहुत कठिन है कि उसकी उपपत्ति क्या होगी।

सेठ गोविन्द दास उठे—

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न। मामले पर विचार हो रहा है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है।

लोक प्रशासन

*६०६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के किसी विश्वविद्यालय अथवा कालेज में ग्रेजुएट अथवा पोस्ट-ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन विषय की शिक्षा देने की कोई व्यवस्था है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो ये शिक्षणालय कहां हैं ?

(ग) वहां से गत चार वर्षों अर्थात् १९५० से १९५३ तक अलग अलग वर्षों में कितने विद्यार्थी ग्रेजुएट बन कर निकले हैं ?

(घ) इस समय ये ग्रेजुएट कहां नौकरी में लगे हुए हैं ?

(ङ) ये ग्रेजुएट पंचवर्षीय योजना में रखी गई प्रशासन व्यवस्था अथवा पुनर्संगठन योजना में किस प्रकार समायोजित हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां।

(ख) लखनऊ, मैसूर, नागपुर तथा पटना विश्विद्यालयों में।

(ग) तथा (घ): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]**

(ङ) ये पाठ्यक्रम पंचवर्षीय योजना को ही विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए नहीं निर्धारित किये गये हैं, किन्तु चूंकि यह विशेषोपयोजित प्रशिक्षण इस बात के लिये रखा गया है जिस से कि प्रशासन में दक्षता आ सके, इस लिये इस से इस योजना के विकास में सहायता मिलनी चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: विवरण से मुझे पता चलता है कि नागपुर विश्वविद्यालय में ६० विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम की शिक्षा प्राप्त की और इन में से ११ प्रशासनीय पदों पर लगे हैं। क्या यह सच है कि शेष में से अधिकांश या तो नौकरी में नहीं लगे हैं अथवा वे क्लर्की की जगह के लिये भी प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। सम्भवत: उन में से सभी नौकरी पर नहीं लगे हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस उपाधि को अधिमान दिये जाने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों को अभिवेदन भेजे गये हैं, और इन अभिवेदनों का क्या हुआ ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं नहीं जानता कि किसी ने ये अभिवेदन किये थे। मैं इस की सूचना नहीं दे सकता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या यह सच है कि उपाधि प्राप्त व्यक्तियों की अपेक्षा ऐसे अधिकारी अधिक नियुक्त किये गये हैं जिन के पास यह उपाधि नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय: ऐसा हुआ होगा।

श्री दामोदर मेनन: क्या सरकारी नौकरी में नियुक्ति के मामले में इन ग्रेजुएटों को अधिमान दिया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय: इस विषय में सम्बद्ध सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों को मैं विस्तृत रूप से नहीं जानता हूं, किन्तु इस

बात में मैं माननीय सदस्य के साथ पूर्ण रूप से सहमत हूं कि लोक प्रशासन जैसे विषयों की प्रशिक्षा प्राप्त कर के जो विद्यार्थी निकलते हैं उन्हें अधिमान दिया जाना चाहिये ।

डा० एम० एम० दास उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक राज्य विशेष का मामला है । जो सूचना पहिले ही दी जा चुकी है माननीय मंत्री के पास उस से अधिक कोई सूचना नहीं है । अगला प्रश्न ।

विश्वविद्यालय शिक्षा गोष्ठी

*६०७. **श्री ईश्वर रेड्डी :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जून १९५३ में मैसूर में एक विश्व विश्वविद्यालय शिक्षा गोष्ठी हुई थी ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस का आयोजन किस ने किया था ?

(ग) इस का उद्देश्य क्या था ?

(घ) इस में भारत के प्रतिनिधि कौन कौन थे ?

(ङ) वे किस प्रकार चुने गये थे ?

(च) इस शिक्षा गोष्ठी के आयोजन के लिये भारत को क्यों चुना गया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (च) तक । एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]**

श्री ईश्वर रेड्डी : सदन पटल पर रखे गये विवरण में, शिक्षा गोष्ठी में सम्मिलित होने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों की एक सूची दी हुई है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस शिक्षा गोष्ठी में आंध्र विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे खेद है कि मैं इस का कारण नहीं बता सकता कि आंध्र विश्वविद्यालय का उस में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया गया था । जैसा कि मैं ने बताया, सभी विश्वविद्यालयों को सूचना भेजी गई थी और विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों ने विश्व विश्वविद्यालय सेवा के स्थानीय अध्यक्ष, जिसे कि प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार था, के परामर्श से अपने प्रतिनिधि चुने ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक उप-कुलपति ने अपने प्रतिनिधि भेजे होंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि उस शिक्षा गोष्ठी में किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : शिक्षा गोष्ठी में कुछ विषयों पर विचार विमर्श किया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री के पास इस विषय की रिपोर्ट है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, श्रीमान् उस शिक्षा गोष्ठी में जो विचार-विमर्श हुए थे उन के परिणामों पर दिल्ली में १२ से १६ अगस्त तक चर्चा करने का प्रस्ताव था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा तो कहना यह है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि उस से और अधिक प्रश्न उत्पन्न होते हों और उस मामले के सम्बन्ध में माननीय मंत्री के पास कोई सूचना नहीं हो, तो माननीय मंत्री यह कह दें कि "इस मामले के सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। और वह एकत्रित कर ली जायेगी ।" इस मामले पर अब और अधिक प्रश्न नहीं करने चाहियें ।

श्री के० के० बसु : वह पूर्व सूचना मांग सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है कि मंत्री महोदय सर्वज्ञ हों और उन के पास सभी बातों की सूचना हो ।

श्री के० के० बसु उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के पास इस विषय की और कोई सूचना नहीं है : फिर प्रश्न पूछने से क्या फायदा ?

श्री के० के० बसु : मैं एक दूसरी बात के बारे में पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को इस बात का अनुमान कर लेना चाहिये कि किसी बात से सम्बन्धित और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि इस शिक्षा गोष्ठी के क्या उद्देश्य थे ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य ने पूछा था कि वहां किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था । मेरे पास तो शिक्षा गोष्ठी के उद्देष्यों के विषय में ही सूचना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को यह समझ लेना चाहिये था कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं : शिक्षा गोष्ठी में किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया था आदि । यह प्रश्न ऐसा तो नहीं है जिस का केवल 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दे दिया जाये या इस में केवल यही पूछा जाय कि शिक्षा गोष्ठी हुई थी या नहीं ।

श्री के० डी० मालवीय : यदि माननीय सदस्य शिक्षा गोष्ठी के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना चाहते हैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो माननीय मंत्री से केवल यह कह रहा हूं कि उन के पास विषय से सम्बन्धित सभी सूचना होनी चाहिये ।

श्री के० के० बसु : श्रीमान्, क्या मैं बहुत आवश्यक प्रश्न पूछ सकता हूं ? मैं जान सकता हूं कि क्या इस शिक्षा गोष्ठी के लिये भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार को धन देना पड़ता है, और यदि ऐसा है, तो वह राशि कितनी है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस की सूचना नहीं है ।

जापान के किनकी विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाली छात्रवृत्तियां

*६०८. **श्री ईश्वर रेड्डी :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जापान के किनकी विश्वविद्यालय ने भारत के पांच विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां देने के लिये कहा है ?

(ख) इन छात्रवृत्तियों के दिये जाने की क्या शर्तें हैं और इन के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी कौन कौन सी सुविधायें दी जायेंगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) (१) किनकी विश्वविद्यालय जापान द्वारा निर्धारित शर्तें :

(१) स्कूल शुल्क की छूट ।

(२) भोजन तथा रहने की मूफ्त व्यवस्था ।

(३) चुने जाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ५००० येन (लगभग ६८ रुपये) प्रति मास भत्ते के रूप मे दिया जायगा ।

(२) शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें :

निम्नलिखित विषयों में चार वर्ष तक ग्रेज्यूएट तथा पोस्ट-ग्रेज्युएट अध्ययन :

न्यायशास्त्र, अर्थ शास्त्र, वाणिज्यिक विज्ञान, विज्ञान, टैक्नोलोजी, कच्चा लोहा तथा इस्पात उद्योग, विशेषरूप से गौण उत्पाद,

बिजली की चीजों का उद्योग, छोटी मशीनों तथा मशीनों के पुर्जों का निर्माण ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सरकार ने इन व्यक्तियों को चुन लिया है ? यदि ऐसा है, तो वे कौन कौन हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : ये व्यक्ति एक चुनाव (सैलेक्शन) समिति द्वारा चुने गये हैं ।

ये पांच व्यक्ति हैं :

१. श्री डी० एन० लिंगम, आन्ध्र विश्व-विद्यालय के ग्रेज्युएट ;

२. श्री सी० सत्य नारायण, बी० ई० इलैक्ट (आनर्स) (आंध्र), प्रथम श्रेणी;

३. श्री एस० विट्ठल, बी० ई० (मैकेनिकल), (मैसूर) प्रथम श्रेणी में सर्व प्रथम स्थान;

४. श्री डी० एच० वोरा, बैचलर आफ टैक्सटाइल्स (बम्बई) आई, टेक्सटाइल टैक्नोलोजी के लिये; तथा

५. श्री एस० नारायणस्वामी, बी० एस० सी० (आनर्स) (दिल्ली), प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान ।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं . .

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आयु सीमा

*६०९. **श्री के० सी० सोधी :** (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से आयात भर्ती योजना चलाई गई है उस के लिये अखिल भारतीय सेवाओं में सीधे ही नियुक्त किये गये व्यक्तियों के लिये कितनी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई थी ?

(ख) भरती किये गये इन व्यक्तियों के आरम्भिक वेतन किस आधार पर निर्धारित किये गये थे ?

(ग) क्या इन व्यक्तियों के चुने जाने तथा उन के आरम्भिक वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में तत्कालीन फैडरेशन लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ४५ वर्ष ।

(ख) जिस आधार पर उन के आरम्भिक वेतन निर्धारित किये गये थे वह सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ग) ये उम्मीदवार विशेष भर्ती बोर्ड, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाया गया था, कि सिफारिशों पर चुने गये थे और इन के आरम्भिक वेतन भी उसी की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किये गये थे ।

मनीपुर और त्रिपुरा के लिये मंत्रणा परिषदें

*६१०. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मनीपुर और त्रिपुरा की मंत्रणा परिषदों की कितनी बैठकें हुईं; और

(ख) इन परिषदों में प्रत्येक राजनीतिक दल के कितने सदस्य हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) त्रिपुरा की मंत्रणा परिषद् की बैठक अब तक तीन बार हुई है और मनीपुर की मंत्रणा परिषद् की बैठक केवल एक बार हुई है ।

(ख) त्रिपुरा की मंत्रणा परिषद् में तीन परामर्शदाता हैं, वे तीनों ही कांग्रेसी हैं । मनीपुर की मंत्रणा परिषद् में पांच परामर्शदाता हैं जिन में से चार तो कांग्रेसी हैं तथा पांचवां किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है ।

गुप्त आय

*६११. **सेठ गोविन्द दास:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल से जून, १९५३ तक कितनी छिपी हुई आय का पता लगाया गया ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): अप्रैल से जून १९५३ तक आयकर जांच आयोग द्वारा तथा स्वेच्छा पूर्वक बतलाने वाली योजना के अन्तर्गत पता लगायी गई छिपी आय की राशि २.९३ करोड़ है। इस के अतिरिक्त इस विभाग के अधिकारियों ने अपने सामान्य कर निर्धारण कार्य के दौरान में कुछ राशि का पता लगाया किन्तु इस के सम्बन्ध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और इस को एकत्रित करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणाम की तुलना में अधिक होगा।

लोक प्रशासन

*६१२. **श्री एस० एन० दास:** (क) क्या **वित** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या लोक प्रशासन पर अमरीकी परामर्श-दाता की रिपोर्ट पर विचार तथा निर्णय कर लिये गये हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा उन्हें कार्यान्वित किया गया है ?

वित मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) जी नहीं, वह रिपोर्ट अभी विचाराधीन है :

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता।

बिहार वासी हिन्दी विद्वान

*६१३. **श्री एस० एन० दास:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बिहार सरकार ने स्थानीय विद्वानों को सहायता देने के लिये स्थापित की गई निधि में से कुछ वित्तीय सहायता देने के लिये किसी यशस्वी हिन्दी विद्वान् की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस विषय पर विचार किया गया है और उस पर कुछ निर्णय किया गया है ; तथा

(ग) स्वीकृत राशि कितनी है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान्। जून, १९५३ के अन्तिम सप्ताह में बिहार सरकार ने स्थानीय विद्वानों को सहायता देने की सरकारी योजना के अधीन वित्तीय सहायता देने के लिये श्री शिवपूजन सहाय ने सिफारिश की थी।

(ख) हां श्रीमान।

(ग) श्री शिवपूजन सहाय के परिवार के भरण-पोषण के प्रयोजन से जुलाई, १९५३ से एक वर्ष तक के लिये १५० रुपये का एक मासिक भत्ता स्वीकृत किया गया है।

अंडमान

*६१४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने त्रावंकुर-कोचीन के कुछ परिवारों को अन्डमान द्वीप में बसाने का निश्चय किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों के व्यक्तियों को भी वहां बसने के लिये प्रोत्साहित करना चाहती हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (श्री काटजू): (क) हां।

(ख) विभिन्न राज्यों से लोगों का अन्डमान में बसने के लिये प्रव्रजन न व्यवहार्य है और न सम्भव। फिर भी अंडमान में बसने वाले व्यक्ति केवल त्रावंकुर-कोचीन से ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से भी लिये जायेंगे।

मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्र

*६१५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ का पहाड़वासियों का विनियमन मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन को कहां तक नियमित करता है; तथा

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने भारत सरकार को सुझाया है कि मनीपुर पहाड़ियों के प्रशासन में भारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से १९४७ के पहाड़वासियों के विनियमन में पूरे पूरे संशोधन किये जायें ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन मनीपुर राज्य पहाड़वासी (प्रशासन) विनियमन, १९४७ के तत्पश्चात् यथानुकूलित उपबन्धों के अनुसार चलाया जाता है ।

(ख) मैं ५ अगस्त, १९५३ को श्री एल० जे० सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६४ की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा ।

माल का छुपे चोरी ले जाना

*६१६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांसीसी बस्तियों से भारत में छुपे चोरी माल का आवागमन चल रहा है; तथा

(ख) यदि सच है तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) श्रीमान्, सभी कारणों से मुझे भय है कि फ्रांसीसी बस्तियों से भारत में छुपे चोरी माल आ रहा है ।

(ख) छुपे चोरी माल का आना रोकने के लिये किये गये अपेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण उपाय निम्नांकित हैं :

(१) सीमांतों पर सीमा शुल्क निरोधक गश्तों को धरती और समुद्र दोनों स्थानों पर बढ़ा दिया गया हैं; समुद्री गश्तों के लिए लठ्ठों के बेड़े जिन के ऊपर तख्तों पर मोटर मशीन लगी होती है, प्रयुक्त किये जा रहे हैं, पर समुद्रगामी स्टीमर भी शीघ्र आने वाले हैं ।

(२) पांडिचेरी तथा कराईकल सीमान्तों के मर्मस्थलों पर कंटीलेतार लगा दिये गये हैं ।

(३) राज्य सरकार के सीमा पर काम करने वाले कर्मचारियों का सहयोग भी लिया जा रहा है ।

(४) यात्रियों की तलाशी और रेलगाड़ियों और मोटर-गाड़ियों की छानबीन भी अधिक बार और अधिक सूक्ष्म रूप से की जा रही है ।

रक्षा संस्थानों में हड़ताल

*६१७. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार रक्षा कर्मचारियों की शिकायतों पर ३० जून, १९५३ की सांकेतिक हड़ताल के बाद अब पुनर्विचार कर रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सांकेतिक हड़ताल के फलस्वरूप शिकायतों पर पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं हो सकता । हड़ताल की कारण भूत कुछ शिकायतों की पूर्णतः जांच की गई थी और कुछ निर्णय किये गये थे । कोई ऐसा नया तर्क नहीं रखा गया है, जिस से पुनर्विचार को उचित ठहराया जा सके । फिर भी कुछ अन्य बातें हैं, जो कुछ समय से सरकार के विचाराधीन रही हैं और मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि

उन में से बहुतों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

विदेश भेजे गए पदाधिकारी

*६१८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री केन्द्रीय सचिवालय के उन पदाधिकारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दी गई विभिन्न छात्रवृत्तियों पर विदेश गये थे ?

(ख) इस समय कितने पदाधिकारी इन छात्रवृत्तियों पर विदेश गये हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) ४६ ।

(ख) २१ ।

माल का छुपे चोरी ले जाना

*६१९. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेतार-सैट आदि से सुसज्जित तीव्रगामी और समुद्रगामी स्टीमरों और जीपों को प्रयोग करने की उस योजना को कार्यान्वित किया गया है, जो देश के कुछ भागों में माल के छपे चोरी लाने या ले जाने को रोकने के लिये बनाई गई थी ?

(ख) यह उपाय कितना सफल हुआ है ?

(ग) वे क्या क्या साधन हैं, जिन में जनता इस सम्बन्ध में सहयोग दे सकती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट योजना अभी पूर्णतः कार्यान्वित नहीं हो पाई है । यद्यपि जीपें और सरलता से क्रेतव्य सामग्रियां सम्बन्धित कलक्टरियों को दी जा चुकी हैं, तथापि समुद्रगामी स्टीमरों के बनने में देर लग रही है और अभी कुछ समय तक वे उपलब्ध न हो पायेंगे । कुछ स्टीमरों के लिये आदेश दिये जा चुके हैं और संबंधित प्रविधिज्ञ पदाधिकारियों से परामर्श करते हुए अवशिष्ट प्राक्कलन पत्रों का परीक्षण हो रहा है । एक बड़ी कलक्टरी में अपेक्षतया बड़े बेतार सैट के संस्थापन के प्रश्न पर भी अधिकांश विचार हो चुका है ।

(ख) योजना की सफलता का निर्धारण अभी समय से बहुत पहले है, क्यों कि इसे केवल आंशिक रूप में ही कार्यान्वित किया गया है ।

(ग) जनता अपने ध्यान में आने वाले छपे चोरी माल के आने जाने के मामलों के विषय में तुरन्त तथा ठीक-ठीक जानकारी सीमा-शुल्क अधिकारियों को देकर सहयोग दे सकती है ।

अमेरिकन सहायता

*६२०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अमेरीकन सहायता की तीसरी किश्त की राशि कितनी है;

(ख) इस सहायता का कितना अंश कलों तथा औद्योगिक वस्तुओं के रूप में होगा; और

(ग) सहायता की कितनी राशि नगदी के रूप में होंगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) १९५३-५४ वर्ष में अमेरीकन सहायता की राशि के विषय में अब तक सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) । प्रश्न नहीं उठता ।

'शंकर वीकली' को अनुदान

*६२१. **श्री मुनिस्वामी : शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि 'शंकर वीकली' को शिशु-चित्रकला-

प्रदर्शनी में पुरस्कार वितरण करने के प्रयोजन से ५,००० रुपयों का एक अनुदान दिया गया है ?

(ख) ऐसी पत्रिकाओं को अनुदान प्रदान करने में क्या क्या बातें अन्तर्ग्रस्त होती हैं ?

(ग) क्या ऐसी कोई और भी पत्रिकायें हैं, जिन को सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सहायता-अनुदान साधारणतः निवेदन में उल्लिखित विषय के महत्व और मूल्य तथा निवेदन करने वाले व्यक्ति या संगठन की वित्तीय परिस्थितियों का विचार करते हुए दिये जाते हैं ।

(ग) ऐसा अनुदान किसी अन्य पत्रिका को नहीं दिया गया है ।

रोपड़ में पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुएं

*६२२. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल परियोजना के लिये एक नहर खोदते समय अम्बाला से ६० मील उत्तर पश्चिम की ओर रोपड़ में "मस्तों का टिब्बा" नामक ७० फुट ऊंचे टीले के नीचे कोई तीन हज़ार वर्ष पुरानी पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुयें मिली थीं;

(ख) ये वस्तुयें किस प्रकार की हैं; तथा

(ग) इन से भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक एवं कलात्मक पहलुओं पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान् । पर मिले हुए पदार्थ परवर्ती मध्ययुग से सम्बन्धित हैं ।

(ख) कुछ परवर्ती मध्य युग के मिट्टी के बर्तन और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां ।

(ग) भारत की कला तथा संस्कृति पर प्रकाश डालने की दृष्टि से इन पदार्थों का महत्व नगण्य है ।

वित्त-आयोग

*६२३. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ में वित्त आयोग द्वारा दसवें अध्याय की प्रथम कंडिका में की गई उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, जिन में राज्य सरकारों के वित्त तथा प्रशासन सम्बन्धी प्रतिवेदनों का निरन्तर अध्ययन करने के लिये तथा उन से विभिन्न सामाजिक सेवाओं तथा अन्य तत्सम्बन्धी विषयों की प्रगति की सामयिक जानकारी सीधे सीधे प्राप्त करने के लिये एक संगठन खड़ा करने की बात सुझाई गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ही राष्ट्रपति के सचिवालय में एक छोटा सा कार्यालय अभी हाल ही में खोला गया है, जो एक महीने में कार्यारम्भ कर देगा ।

नया विश्वविद्यालय

*६२४. **श्री राधेलाल व्यास:** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति के निर्देश पदों तथा सदस्यों के बारे में कोई परिवर्तन किया गया है ?

(ख) यदि हां तो नये सदस्य कौन कौन हैं तथा निर्देश के पद क्या हैं ?

(ग) विशेषज्ञ समिति के कितने सदस्य सरकारी सेवा में हैं ?

(घ) अब तक समिति की कितनी बार बैठक हुई है ?

(ङ) ऐसी बैठकों में कौन से निश्चय किये गये ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख)। समिति के निर्देष्ट पदों में परिवर्तन नहीं किया गया है किन्तु सदस्यों में कुछ अवश्य परिवर्तन हुआ है--डा० एस० एस० भटनागर समिति से हट गये तथा उन के स्थान पर डा० के० एस० कृष्णन नियुक्त कर दिये गये थे। अस्वस्थ होने के कारण आचार्य नरेन्द्र देव ने भी त्यागपत्र दे दिया और उन के स्थान पर डा० वी० एस० कृष्ण को नियुक्त कर दिया गया था। डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मृत्यु के फलस्वरूप खाली होने वाले स्थान पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया था। समिति का वर्तमान संगठन इस प्रकार है :

१. प्रो० हुमायू कबीर सदस्य-संयोजक
२. डा० के० एस० कृष्णन
३. प्रो० एन० के० सिद्धान्त तथा
४. डा० वी० एस० कृष्ण

(ग) दो ।

(घ) एक बार।

(ङ) समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा कमेटी की उपपत्तियां सरकार के विचाराधीन हैं ।

सैनिक भर्ती केन्द्र

*६२५. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि लोगों को सैनिक भर्ती केन्द्रों की ओर आकर्षित करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रचार-कार्य किया जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): सेना के भर्ती संगठन में ४५ भरती कार्यालय हैं जिन में १३० अधिकारी काम कर रहे हैं। ये अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में माहवारी दौरा करते हैं तथा उस क्षेत्र के असैनिक अधिकारियों तथा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं से घनिष्ट सम्पर्क रखते हैं। सशस्त्र बल की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के हेतु वे अनेक संस्थाओं, स्कूलों तथा कालेजों में जा कर सशस्त्र बल में काम करने के विभिन्न पहलुओं पर, भाषण देते हैं।

भावी रंगरूटों का ध्यान आकर्षित करने के लिये रेलवे स्टेशनों तथा सार्वजनिक पार्कों में सैनिक जीवन की झांकियों को बोर्डों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाता है। जब कभी भी आवश्यकता होती है अधिकतर प्रादेशिक भाषा वाले समाचार-पत्रों में विज्ञापन छपवाये जाते हैं। सिनेमाओं के स्लाइड भी दिखलाये जाते हैं।

शिक्षा संस्थाओं को ऐसी पुस्तिकायें आदि दी जाती हैं जिन में सशस्त्र बल को विभिन्न शाखाओं में नौकरी करने की शर्तें तथा निबन्धन दिये जाते हैं।

साम्यवादी दल

*६२६. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान ३१ जुलाई १९५३ के "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि साम्यवादी दल की तेलंगाना समिति ने रूस, चीन तथा अन्य साम्यवादी देशों के दूतावासों से धन की मांग की है ?

(ख) क्या विदेशी दूतावासों को राजनैतिक दलों के निजी कोषों में दान देने का अधिकार प्राप्त है ?

(ग) यदि नहीं तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां सरकार ने ऐसी रिपोर्ट देखी है ।

(ख) यह इतना कानून का प्रश्न नहीं है जितना अन्तर्राष्ट्रीय औचित्य का। फिर भी सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि अपील से प्रभावित हो कर किसी विदेशी दूतावास ने कुछ दान दिया हो ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

लोक प्रशासन

*६२७. **श्री सिंहासन सिंह**: क्या गृह-कार्य मंत्री १५ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२३५ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक प्रशासन में सुधार करने के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; तथा

(ख) आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिन बोर्डों को स्थापित करने की सिफारिश की थी क्या उन्हें स्थापित कर दिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सिफारिशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में जिन विशिष्ट कार्यवाहियों को किया जाना है वे सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अध्याय ६ पैरा ३१ में केन्द्रीय सरकार संस्थापना बोर्ड का निर्देश किया है । ऐसा बोर्ड पहले ही से मौजूद है । उसी अध्याय के पैरा ३३ में उस ने केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रमों की समस्याओं को हल करने के बारे में एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है । सम्बद्ध मंत्रालय में ऐसे बोर्ड के स्थापित किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय नमूना जांच

३२९. **श्री एस० एन० दास**: क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली ब्लाक में राष्ट्रीय नमूना जांच के अधीक्षकों के कितने पद हैं तथा उन की वेतन श्रेणी क्या है;

(ख) यह पद कौन सी तारीख को बनाये गये थे; तथा

(ग) भर्ती किस प्रकार की गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) दिल्ली ब्लाक में राष्ट्रीय नमूना जांच के अधीक्षक का केवल एक पद है । इस पद की वेतन श्रेणी २५०-३५० रुपये है या ग्रेड वेतन और २० प्रतिशत जो कि कम से कम २५० रुपये प्रति मास होता है ।

(ख) यह पद १२ मई १९५० को बनाया गया था ।

(ग) इस पद पर भर्ती या तो अधिदेश के अन्दर ही पदोन्नति करके की गई या भारतीय सांख्यकीय संस्था कलकत्ता से किसी उचित और अनुभवी अधिकारी को बुला कर की गई है ।

राष्ट्रीय तथा छोटी बचत के संग्रह करने पर खर्च

३३०. **श्री हेडा**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मदों अर्थात् राष्ट्रीय बचत संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों का खर्च प्रचार व्यय तथा अधिकृत अभिकर्त्ताओं को दिया गया कमीशन के अन्तर्गत १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ वर्षों में राष्ट्रीय तथा छोटी बचत के संग्रह करने पर कितना खर्च हुआ; तथा

(ख) इन वर्षों में संग्रह किये गये कुल धन की तुलना में यह खर्च कितना प्रतिशत बैठता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) सूचना इस प्रकार है :—

खर्च — रुपयों में

वर्ष	कर्मचारी	प्रचार	कमीशन	कुल योग
१९४९—५०	११,२८,९१७	५,९७,५१७	२,३०,९४५	१९,५७,३७९
१९५०—५१	१३,७२,८०७	३,३९,८६१	८,१२,८८४	२५,२५,५५२
१९५१—५२	१३,१०,९७७	५,२२,३३४	१०,४९,४२५	२८,८२,७३६
१९५२—५३	१५,१३,११२	६,६७,५३२	१०,०९,३०२	३१,८९,९४६

(ख) प्रत्येक वर्ष लगभग ०·८ प्रतिशत ।

यूनैस्को टेकनिकल सहायता प्रोग्राम

३३१. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक टैक्नीकल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनैस्को द्वारा कितने विशेषज्ञ भारत भेजे गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : ११ ।

भारतीय महिलाओं को छात्रवृत्तियां

३३२. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अमरीकी विश्वविद्यालय महिला संघ ने अमरीका में अध्ययन करने के लिये भारतीय महिलाओं को कुछ छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव रखा है ?

(ख) यदि हां तो कितनी ?

(ग) ये छात्रवृत्तियां (१) वर्ष १९५३-५४ तथा (२) वर्ष १९५२-५३ में किन किन महिलाओं को दी गईं ?

(घ) इन छात्रवृत्तियों के लिये भारत में किस आधार पर चुनाव किया जाता है ?

(ङ) इन छात्रवृत्तियों के अन्तर्गत कौन कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) तक उत्पन्न नहीं होते ।

राज्य प्रचार अधिदेश द्वारा सूचना का दिया जाना

३३३. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैप्सू सरकार ने हाल ही में इस प्रकार का आदेश जारी किया है कि उस का कोई अधिकारी सीधे प्रेस को सूचना न दे तथा समस्त सूचना राज्य प्रचार अधिदेश द्वारा दी जाये ;

(ख) क्या इस आदेश से समाचार-पत्रों में क्षोभ फैल गया है; तथा

(ग) उक्त आदेश को बदलने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग) तक । १८ मई, १९५३ को जारी किये गये अपने प्रेस नोट में पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है । प्रेस नोट की एक प्रति संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]** राज्य सरकार के आदेश में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

भारती पुलिस सेवा परीक्षा, १९५२ में चुने गये अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार

३३४. **श्री वीरस्वामी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ मार्च, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६९० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९५२ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में भारतीय पुलिस सेवा के लिये अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार चुने गये ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : भारतीय पुलिस सेवा के लिये अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार योग्य पाया गया है । सेवा में उस की नियुक्ति का प्रश्न इस समय विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियां

३३५. **श्री पी० एन० राजभोज :** (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों को सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के नियम का सिरकी आर्डनैन्स फैक्टरी, सेन्ट्रल आर्डनैन्स डिपो, डेहू रोड, तालेगांव में नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में पालन किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो इस डिपो में १९५० से १९५३ तक कितने स्थान खाली हुए हैं ?

(ग) श्रेणी १, २, ३ तथा ४ में अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार नियुक्त किये गये हैं ?

(घ) यदि उचित अनुपात में नियुक्तियां नहीं की गई हैं तो इस का क्या कारण है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख)	श्रेणी १	कुछ नहीं
	,, २	,, ,,
	,, ३	१२
	,, ४	२२
(ग)	श्रेणी ३	कुछ नही
	,, ४	२

(घ) इस डिपो में श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के पदों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या भर्ती के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रतिशतक से अधिक है । इसलिये डिपो प्राधिकारियों ने यह सोचा कि इस समय कोई विशेष रक्षन देने की आवश्यकता नहीं है । डिपो प्राधिकारियों को अब यह सूचना दे दी गई है कि इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि अनुसूचित जातियों के व्यक्ति कितने पदों पर नियुक्त हैं, भावी पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के पक्ष में रक्षण का निर्धारित प्रतिशतक लागू किया जाये ।

देशी राज्यों की सेनाओं का एकीकरण

३३६. **श्री आर० सी० शर्मा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मध्य भारत में विलीन होने वाले देशी राज्यों की सेनाओं के ऐसे कितने सैनिक हैं जो एकीकरण के फलस्वरूप भारतीय सेना में नहीं लिये जा सके;

(ख) क्या इस प्रकार सेवा मुक्त सैनिकों को कहीं और कार्य देने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं;

(ग) कितने सैनिकों को कार्य मिल चुका है ; तथा

(घ) एकीकरण के समय मध्य भारत में देशी राज्यों की सेना की कुल संख्या क्या थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):

(क) पदाधिकारी	१६१
अन्य श्रेणियां	९०११

(ख) तथा (ग) । जी हां । अब तक ३,०१५ सैनिकों को और काम दिया गया है ।

(घ) पदाधिकारी	२४१
अन्य श्रेणियां	१०,१९१

फेडरल वित्तीय एकीकरण

३३७. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों के वश फैडरल वित्तीय एकीकरण के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति केवल चार राज्यों, अर्थात् राजस्थान, पैप्सू, मध्यभारत तथा सौराष्ट्र का ही पुनर्विलोकन करेगी और अन्य राज्यों का नहीं ?

(ख) क्या उन राज्यों के विषय में जो इस समिति के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नहीं किये गये हैं, उन को भारत के अन्य भागों के समानरूप बनाने के लिये वहां के विकास के मामलों का पुनर्विलोकन कराने के लिये और कोई योजना अथवा प्रस्थापना विचाराधीन है ।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) माननीय सदस्य शायद सरकार द्वारा नियुक्त की गई भाग 'ख' राज्य (विशेष सहायता) जांच समिति की ओर निर्देश करते हैं जिस के सभापति श्री एन० वी० गाडगिल हैं । सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्य भारत तथा पेप्सू इन चार राज्यों के साथ किये गये करारों के अधीन एक विशेष जिम्मेवारी ली गई थी, जिस को पूरा करने के लिये यह समिति नियुक्त की गई है । अन्य राज्यों को ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया है ।

(ख) पंचवर्षीय योजना को सूत्रित करते समय सारे राज्यों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरी तरह विचार में रखा गया है ।

मंगलवार,
१८ अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १८ अगस्त १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९.१५ म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ९ की उपधारा (२) के अन्तर्गत १७ जुलाई, १९५३ को भारत सरकार के असाधारण सूचना-पत्र के भाग २ के खण्ड ३ में प्रकाशित हुए परिसीमन आयोग, अन्तिम आदेश संख्या १ की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई है देखिए संख्या एस—१०१/५३**]

समितियों के चुनाव

अखिल भारतीय टेकनीकल शिक्षा परिषद्

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): मेरा प्रस्ताव है कि :

"यह सदन अखिल भारतीय टेकनीकल शिक्षा परिषद् के लिए २९ अप्रैल, १९५५ तक के अनवसित काल में कार्य करने के हेतु प्रो० सी० पी० मैथ्यु के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति का चुनाव करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा मण्डली

श्री के० डी० मालवीय : मेरा प्रस्ताव है कि :

"यह सदन शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा मण्डली के लिए स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्थान पर उनकी अवधि के अनवसित काल में कार्य करने के हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति का चुनाव करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचना देनी है कि चुनाव एकलसंक्रमणीय मत द्वारा होगा और तिथियों का कार्यक्रम इस प्रकार होगा :

(१) नाम निर्देशन-पत्र शनिवार, २२ अगस्त, १९५३ के १२ बजे दोपहर

[उपाध्यक्ष महोदय]

तक संसदीय सूचना कार्यालय में प्रस्तुत किये जायें।

(२) नाम वापस लेने की सूचना सोमवार २४ अगस्त, १९५३ के १२ बजे दोपहर तक संसदीय सूचना कार्यालय में दी जाये।

(३) चुनाव, यदि आवश्यक हुआ तो, शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५३ को १०-३० म० पू० तथा १ म० प० तक पहली मंजिल के समिति कमरा नम्बर ६२ में होंगे।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : श्रीमान्, क्या सूचना ज्ञात करने के लिए सदन यह जान सकता है कि किसी सदस्य ने इस सदन द्वारा चुने जाने पर किसी पद से त्यागपत्र क्यों दिया ?

शिक्षा, व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): कोई खास वजह बयान नहीं की जा सकती, लेकिन हर मैम्बर को हक है वह जब चाहे रिजाइन कर सकता है।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल) : जब सदन किसी विशेष सदस्य को चुनता है तो इस का यह अर्थ होता है कि सदन ने उस में अपना विश्वास प्रकट किया है। अतः सदन को यह ज्ञात होना चाहिये कि किन कारणों से उसने त्यागपत्र दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : न तो संविधान के अनुसार और न ही नियमों के अनुसार मैं किसी सदस्य को यह बताने पर बाध्य कर सकता हूं कि उसने त्यागपत्र क्यों दिया।

मौलाना आजाद : मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या रीजन्स (कारण) लिखे थ। मैं मालूम करूंगा लेकिन मैं आप की तवज्जुह (ध्यान) इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हाऊस का यह ढंग नहीं रहा है कि एक शख्स (व्यक्ति) मैम्बर चुना गया है और किसी वजह से वह रिजाइन करता है तो फिर यह सवाल उठाया जाये कि रिजाइन करने के क्या रीजन्स (कारण) हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन को यह मांग करने का कि अमुक सदस्य ने त्याग-पत्र क्यों दिया कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रो० मैथ्यु से अपना त्यागपत्र देने के कारण बताने के लिए आग्रह नहीं कर सकता।

आन्ध्र राज्य विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए हमने सात दिन निश्चित किए हैं। भाषण देने के इच्छुक सदस्यों की एक सूची मेरे पास है। मैं आंध्र के सदस्यों को प्राथमिकता देता आया हूं, उन के पश्चात तामिलनाड, मैसूर तथा हैदराबाद के सदस्यों का नम्बर है। मालावार के सदस्य भी बोलना चाहते हैं क्योंकि वह अवशिष्ट राज्य के निवासी हैं। मेरा विचार है कि आज सामान्य चर्चा को बन्द करके वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री को बुलाने के स्थान पर उन्हें कल १२–१५ पर बुलाया जाये।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल–पश्चिम कटक) : आंध्र के कुछ भागों को उड़ीसा में मिला देने की कुछ प्रस्थापनायें रखी गई हैं, अतः उड़ीसा के सदस्य भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। उन को भी अवसर दिया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों पर इस आंध्र विधेयक का प्रभाव पड़ेगा उन

सभी को अवसर देने का मैं प्रयत्न करूंगा ।

श्री वीरस्वामी : (मयूरम–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : अभी तक तामिल नाड के किसी सदस्य को भाषण देने का अवसर नहीं दिया गया है । मुझे विश्वास है कि तामिलनाड़ के सदस्यों को और अधिक अवसर दिये जायेंगे ।

श्री सी० आर० चौधरी (नरसरावपेट) : विधेयक के अनुसार हम को एक आंध्र राज्य मिलेगा । यह विधेयक अपूर्ण है। जैसा कि हम को उद्देश्यों और कारणों के विवरण से ज्ञात होता है यह विधेयक परिस्थिति को संभालने के लिए ही प्रस्तुत किया गया है भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के सिद्धान्त को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं है ।

यद्यपि केन्द्र सैद्धांतिक रूप से वर्तमान राज्यों को भाषा के आधार पर समायोजित करने पर राजी है तो भी व्यवहारिक रूप से वह उस के विरुद्ध है । गत वर्ष आंध्र में जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी उसने दिल्ली के शासकों को आंध्र राज्य बनाने पर बाध्य कर दिया । आंध्र देश के निवासियों की यह मांग थी और आंध्र राज्य बनाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता था ही नहीं ।

परन्तु यह विधेयक आंध्र निवासियों को क्या देता है ? क्या आंध्र निवासियों को मांग विशाल आंध्र की है ? आंध्र प्रदेश के बहुत से भाग समीपवर्ती राज्यों में रहने दिए गए हैं । इसका अर्थ यह है कि अपने लक्ष्य की पूर्ती के लिए उन को फिर संघर्ष करना होगा । मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि कोई भी आंध्र निवासी उस समय तक चैन नहीं लेगा जब तक कि विशाल आंध्र नहीं बन जाता है । यह जनता का युग है और कोई भी सरकार जनता की मांग को ठकरा नहीं सकती है ।

इस विधेयक में चार पांच बातें ऐसी है जिन पर सदन को विचार करना है । पहली बात सीमा की है । इसे तो सम्बद्ध दलों में परस्पर बातचीत करके तय किया जा सकता है । आंध्र प्रदेश के बड़ बड़े भाग जो कि समीपवर्ती राज्यों में स्थित है, जैसे चिंगलपुट, सलेम उत्तरी अरकाट जोकि मद्रास के अवशिष्ट राज्य में हैं, मैसूर राज्य में स्थित कोलार चितलदुर्ग, तमकूर तथा बिल्लारी जिले के भाग, उनको एक सीमा आयोग के द्वारा समायोजित किया जायेगा, परन्तु जहां स्थिति ऐसी हो कि जो परस्पर बातचीत से तय न की जा सके वहां जनमत लेना होगा ।

परन्तु इस के सम्बन्ध में विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है । सदन के नेता तथा राज्यों के मंत्री ने केवल समय समय पर कुछ आश्वासन ही दिये हैं । अभी कुछ दिन हुए सदन के नेता ने कहा था कि सीमा आयोग की नियुक्ति सम्बद्ध राज्य सरकारों का कार्य है और उसका केन्द्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं इस वक्तव्य का आशय समझने में असमर्थ रहा हूं । यदि वह इस बात को स्पष्ट कर देते कि यह कार्य केन्द्र का है अथवा सम्बद्ध राज्यों का दायित्व है तो अधिक उत्तम होता ।

जहां तक अवशिष्ट मद्रास और आंध्र का सम्बन्ध है वह सीमा आयोग के द्वारा इस प्रश्न का निपटारा किये जाने पर सहमत हैं । यह बात मद्रास विधान सभा में श्री टी० एन० वेंकटा सुबा रेड्डी

[श्री सी० आर० चौधरी]

द्वारा १८ जलाई, १९५३ को प्रस्तुत किये गये संकल्प से स्पष्ट हो जाती है। सम्बद्ध राज्यों तथा देश के हित के लिए यदि गृह मंत्री किसी सीमा आयोग को निर्धारित तिथि से एक वर्ष के अन्दर ही नियुक्त करने की कृपा करेंगे तो अति उत्तम होगा।

मैसर और आंध्र की सीमा का भी निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस विधेयक में सीमा के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई खंड नहीं है। ऐसा मालूम होता है सरकार यह चाहती है कि दोनों दल आपस में लड़ें और झगड़ें और फिर घुटने टेक कर केन्द्र से सहायता की प्रार्थना करें। परन्तु यह तो उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं है।

दूसरी बात वर्तमान मद्रास राज्य की दायित्वों तथा आस्तियों को अवशिष्ट राज्य, आंध्र तथा मैसूर के बीच विभाजित करने के सम्बन्ध में है। जनता की मांग यह है कि इस का विभाजन जन-संख्या के आधार पर एक ऐसी विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाये जिसका सभापति उच्चन्यायालय का कोई न्यायाधीश हो। इसके सम्बन्ध में भी केन्द्र का यही विचार मालूम होता है कि पहले दोनों को लड़ने दिया जाये जिससे कि वह बाद को केन्द्र से सहायता की प्रार्थना करें। दायित्वों तथा आस्तियों के विभाजन का जो सिद्धांत सातवीं अनुसूची में दिया गया है आंध्र के लोग उसमें विश्वास नहीं करते हैं। अतः विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्णय कराये जाने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं है। केवल इसी से दोनों अवशिष्ट राज्यों में सद्भावना बनी रह सकती है। विधेयक के उपबन्धों से तो संघर्ष तथा झगड़ा ही पैदा होगा।

तीसरा प्रश्न सेवाओं के सम्बन्ध में किये गये उपबन्धों से है। इस विषय में हम विधेयक में दिये गये उपबन्धों से सहमत हैं।

चौथा प्रश्न तुंगभद्रा परियोजना का है। अभी तो यह परियोजना त्रि-राज्यीय है। जो कुछ भी इस पर व्यय होगा उस का कुछ भाग मैसूर राज्य को जितना लाभ होगा उस के अनुसार वहन करना होगा। किस सिद्धान्त के आधार पर मैसूर को इस में सम्मिलित किया गया है विधेयक में उसका कोई जिक्र नहीं है। मैसूर मद्रास राज्य के कनाडिगा भाग को चाहता है परन्तु आंध्र के भाग आंध्र को देना पसन्द नहीं करता है इसलिये वह स्थिति का पूर्णरूप से लाभ उठाने की चेष्टा में है। ऐसे दृष्टिकोण के होते हुए तुंगभद्रा परियोजना की बात किस प्रकार से तय होगी? स्पष्ट है कि केन्द्र चाहता है कि पहले आपस में झगड़ा हो फिर उसके पास सहायता की प्रार्थना की जाये। परन्तु हमें इसे रोकना है। सर्वोत्तम उपाय यह है कि एक मण्डली नियुक्त की जाये जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि हों और जिस का सभापति केन्द्र का प्रतिनिधि हो और वह मंडली इस परियोजना को इसके मूल रूप में चलाये। विधेयक में जो अस्पष्ट उपबन्ध रख गये हैं वह अपर्याप्त हैं। ऐसा न होने पर यह परियोजना एक महान राष्ट्रीय हानि बन जायेगी।

मैं आंध्र राज्य की राजधानी के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। यह तो स्पष्ट है कि इस प्रश्न को

निपटाने का अधिकार केवल आंध्र विधान सभा को ही है । परन्तु यह एक महत्व-पूर्ण प्रश्न होने के कारण मद्रास विधान सभा के अध्यक्ष को आंध्र के विधायकों का एक सम्मेलन अस्थायी राजधानी की स्थिति का निर्णय करने के लिए बुलाना पड़ा था । शब्द 'अस्थायी' से बहुत से संशय उठ खड़े हुए हैं । क्या अस्थायी का अर्थ यह है कि विशाल आंध्र के बनने तथा हैदराबाद को उसकी राजधानी बनाये जाने तक के लिए अस्थायी राज-धानी बनाने का प्रश्न है अथवा आंध्र विधान सभा द्वारा किसी नियमित संकल्प के द्वारा अनुमोदन किये जाने तक के लिए अस्थायी राजधानी बनाई जायेगी । मैं चाहता हूं कि इस बात का स्पष्ट उत्तर दिया जाये । जिन सदस्यों ने मत-दान के समय निर्णय किया था उनको भी यह निश्चित नहीं था ।

सम्मेलन में जो निर्णय किया गया था उस से आंध्र में प्रादेशिक तथा साम्प्रदायिक भावनायें भड़क उठी हैं । राजधानी का प्रश्न एक राजनैतिक प्रश्न बन गया है । जनता इस निर्णय का विरोध करती है और यह जुलाई मास में आंध्र–मद्रास विधान सभा के द्वारा पारित किये गये संकल्प से स्पष्ट हो जाता है ।

हमें प्रसन्नता है कि इस विधेयक में आंध्र राज्य की राजधानी के स्थान का प्रश्न आंध्र विधान सभा पर ही छोड़ दिया गया है । विधायक जनता के मत की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं । यदि निश्चित तिथि से पूर्व इसका निर्णय नहीं किया गया तो परिणाम भयंकर होंगे । आंध्र जनता की इच्छा के अनुसार ही यह निर्णय किया जाना चाहिये ।

मुझे सदन के नेता के इस बक्तव्य से आश्चर्य हुआ है कि यह आंध्र राज्य स्थापित करके यह देखना चाहते हैं कि भाषावार राज्यों के बनाने का प्रयोग सफल होता है अथवा नहीं । परन्तु मैं इस वक्तव्य को अधिक महत्व नहीं देता हूं । यदि आंध्र राज्य को समीपवर्ती राज्यों को भाषा के आधार पर समायो-जित करके बनाया जाता है तब तो यह सिद्धान्त ठीक है । इसी आधार पर यह विधेयक बनाया गया है और मद्रास तथा मैसूर की विधान सभाओं में जो विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं वह भी प्रायः इस जैसे ही हैं ।

श्री बी० दास (जाजपुर–क्योंझर) : नये आंध्र राज्य बनाये जाने के लिए २६ जनवरी १९५० निश्चित किया गया था किन्तु वहां के नेताओं में मतभेद के कारण इसमें देर हुई और अब यह दिन पहली अक्तूबर १९५३ निश्चित किया गया है । प्रो० रंगा तथा श्री प्रकाशम ने इस निश्चित तारीख, २६ जनवरी १९५०, को स्वीकार नहीं किया था । यदि वे इसे स्वीकार कर लेते तो १९४९ में संविधान सभा ने आंध्र राज्य को भी संविधान में सम्मिलित कर लिया होता । बहुत से आंध्र के असंतुष्ट नेता यह कहते हैं कि यह जो पहली अक्तूबर १९५३ का दिन निश्चित किया गया है उससे कोई लाभ नहीं । पहिले उड़ीसा में ६ जिले थे, बाद में १३ जिले हो गये और यदि सीमा आयोग बन गया तो इस में और भी जिले मिल जायेंगे। पहिले हमें आंध्र राज्य बनाना चाहिये । और बातें तो हम बाद में सोच सकते हैं । मैं अपने आंध्र के मित्रों को यही सलाह देता हूं आस्तियों तथा दायित्वों के वितरण से डा० लंका सुन्दरम् संतुष्ट नहीं हैं । मैं तो उन लोगों

[श्री बी० दास]

में से हूं जो आस्तियों तथा दायित्वों के वितरण के मामले में भारत सरकार के अधिकारियों की ईमानदारी में कभी सन्देह नहीं करते । जब सिन्ध और उड़ीसा अलग प्रान्त बनाये गय थे हमने उस समय के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों पर विश्वास किया था । उन्होंने ही आस्तियों तथा दायित्वों का आवंटन किया था और हमने उसे मान लिया था । हमने इस पर पश्चाताप नहीं किया था ।

यह बात तो ऐसी ही है जैसे दो भाई अलग होते हैं । उड़ीसा बिहार से अलग हुआ किन्तु हम लोग मित्रों की तरह से अलग हुए । कल वित्त मंत्री ने बताया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहां आस्तियों तथा दायित्वों का उचित रुप से वितरण हो। डा० लंका सुन्दरम् इस बात को भूल जाते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहां पर न्याय हो । जब हम मित्रों की तरह से अलग हो रहे हैं तो हमें परम मित्रों की तरह से ही अलग होना चाहिय । मुझे इस सम्बन्ध में श्री वेंकटारमन का भाषण अच्छा नहीं लगा । अधिकांश तामिल भाषी सदस्यों के भाषण से मुझे ऐसा लगा कि उनके भाषणों में एक इस प्रकार की भावना थी कि "हम तो धनी हैं, छोटा भाई भारत सरकार के पास जा कर मांगें" ।

मैं डा० का जू का एक बात के लिये ऋणी हूं । उन्होंने कहा कि आंध्र ी जो कुछ भी कठिनाइयां हों वह उन्हें भारत सरकार के सामने रखे । आंध्र लोग अपनी संस्कृति तथा राष्ट्रीय विकास की भावना के मामले म बढ़े चढ़े हैं । उन्हें अपनी योजनायें स्वयं ही बनानी चाहियें और उन्हें भारत सरकार के सामने रखनी चाहियें । और यह भारत सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि आन्ध्र राज्य का उचित विकास हो । मुझे आशा है कि योजना आयोग इस बात को प्राथमिकता देगा कि आंध्र राज्य अन्य राज्यों के समान बढ़ सके । मेरा माननीय मंत्री जी से यह सुझाव है कि वह इन सभी भाग 'ग' राज्यों को समाप्त कर दें और उन्हें पड़ोस के रा-यों में मिला दें । इससे बहुत से धन की बचत होगी जिसे आन्ध्र तथा अन्य बड़े राज्यों के विकास में लगाया जा सकता है । उड़ीसा के बारे में मैं किसी उचित समय पर बोलूंगा । आन्ध्र राज्य के सम्बन्ध में बातें तय करने के लिय एक सीमा आयोग बनाया जा सकता है । मैंने उड़ीसा के लिये कोई मांग नहीं की है । किन्तु यदि सरकार यह समझती है कि भाषावार राज्यों के निर्माण के सम्बन्ध में एक आयोग नियुक्त करने का समय आ गया है, तो उसे ऐसा बहुत सोच समझ कर करना चाहियें क्योंकि इससे बहुत सी कठिनाइयां पैदा होंगी, और तब मैं उड़ीसा की उचित मांग के लिये लड़ूंगा । यहां जो भाषण दिये गये मैंने उन्हें सुना और मुझे उन्हें सुन कर खेद हुआ ।

मेरी अपने आन्ध्र मित्रों से यह अपील है कि हमें संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिये । यहां ऐसे थोड़े से ही सदस्य हैं जिन्होंने संविधान बनाने में भाग लिया था ।

[सरदार हुक्म सिंह अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

हमें संविधान का अनुसरण करना चाहिये और देश के सामंजस्य

का ध्यान रखना चाहिय और संविधान की आलोचना नहीं करनी चाहिये ।

मैं आन्ध्र की संस्कृति का प्रशंसक हूं । आन्ध्र निवासी महान थे और महान हैं । आन्ध्र देश अपनी संस्कृति से ही बड़ा बना और इसने भारतीय सभ्यता को बड़ा अंशदान दिया । मैं इन चालीस वर्षों में आंध्र राज्य बनाने के प्रस्ताव का समथन करता रहा हूं । किन्तु यदि इस सदन का कोई सदस्य यह समझता है कि यदि आंध्र राज्य न बनाया गया तो देश में युद्ध हो जायगा, तो वह ऐसा गलत सोचता है । मैं डा० लंका सन्दरम् को यह याद दिला दूं कि राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) भी अल्प संख्यक समस्या को सुलझा नहीं सका । भारत में तो अल्प संख्यक सदा ही रहेंगे । यह संसद् भारत के लिये राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशंस) ही है । जब तक पारस्परिक विश्वास न हो तब तक किसी भी समस्या को सुलझाना कठिन है ।

डा० लंका सुन्दरम् : विश्वास से अधिक हम न्याय चाहते हैं ।

श्री बी० दास : न्याय का भी स्थान होगा । मेरा सुझाव यह है कि यह सीमा समायोजन पर चर्चा करने का अवसर नहीं है। यह अवसर तो आन्ध्र के सदस्यों को आन्ध्र राज्य बनाने में अपनी शुभ कामनायें अर्पित करने का है । सीमा समायोजन के विषय में तो चर्चा आन्ध्र के अच्छी प्रकार से स्थापित होने पर की जा सकती है ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित—अनूसूचित आदिम जातियां) : मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूं जो डा० काटजू की बात से असन्तुष्ट हैं । मझे यह आशा थी कि राज्यों के फिर से बनाये जाने के मामले में डा० काटजू इस विधेयक का लाभ उठायेंगे किन्तु उन्होंने ऐसा जान बूझकर नहीं किया । यद्यपि मैं आन्ध्र राज्य बनाय जाने के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु मुझे इस बात का खेद है कि यह भाषा के आधार पर बनाया जा रहा है । मैं इस बात का विरोध करता हूं । मैं समझता हूं कि यदि हम भाषा के आधार पर राज्य बनायेंगे तो संविधान के अनुसार १४ भाषायें होने से देश में केवल १४ राज्य बन सकेंगे । संविधान में उर्दू भाषा दी ही हुई है उर्दू भाषा भाषी राज्य कब बनाया जायेगा सेठ गोविन्द दास सरकार से संस्कृत भाषा भाषी राज्य बनाने के लिये कब कहेंगे ? मैं केवल भाषा के आधार पर राज्य बनाये जाने के विरुद्ध हूं । भाषा भी एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है । किन्तु जो इस की महत्ता के विषय में कहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या बात होगी । कल श्री चटर्जी ने बिहार राज्य में से कुछ भाग लिये जाने के बारे में कहा था । किन्तु मैं उनसे पूछता हूं कि क्या दार्जिलिंग बिहारी भाषा भाषी स्थान नहीं है ? क्या पश्चिमी बंगालवासी वे स्थान देने को तैयार हैं जहां बंगाली नहीं बोली जाती ? जनगणना के मामले में हम सच्चाई से काम नहीं लेते । जनगणना में भाषा सम्बन्धी आकड़ ठीक नहीं लिखाये जाते । यदि आंध्र राज्य मद्रास शहर की जन-गणना करे तो मद्रास आंध्र में मिल जायगा और यदि मद्रास राज्य यह जनगणना करे तो मद्रास उसी राज्य का भाग रहेगा । इसी प्रकार मानभूम के मामले को लीजिये । वह भी एक दम हिन्दी भाषा भाषी हो गया है । भाषा के आधार पर राज्यों के बनाये जाने के दृष्टिगोचर मैं इस विधेयक का पूर्णरूप से विरोध करता हूं । आंध्र राज्य एक प्रशासनिक राज्य के रूप से

[श्री जयपाल सिंह]

बनाया जाना चाहिये। भविष्य में हम जब भी ऐसा करें तो वह प्रशासनिक आधार पर होना चाहिये जिसमें भाषा, इतिहास, भूगोल, युद्धनीति तथा अन्य बातें सम्मिलित हों। जिससे कि देश अधिक शक्तिशाली हो सकेगा यदि यह बात मेरे हाथ में होती तो मैं सभी प्रान्तों को समाप्त कर देता। देश को एकता के सूत्र में बांधने की अपेक्षा, भाषा का प्रश्न देश को कई भागों में विभक्त कर रहा है जिससे देश कमज़ोर हो जायगा। श्री गाडगिल महाराष्ट्र की मांग करते हैं; श्री तुलसीदास किलाचन्द महागुजरात की और सेठ गोविन्द दास महाकौशल की मांग करते हैं; तो मैं महा झारखण्ड की मांग करता हूं। जब श्री दास उड़ीसा की मांग कर रहे थे यदि मैं उस समय होता तो आज भारत का इतिहास भिन्न होता। मैं समुद्र तट तक छत्तीसगढ़ की मांग करता। आजकल हमें युद्ध नीति का भी विचार रखना चाहिये। मेरे नवयुवक मित्र कहते हैं कि मैं बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को फिर से मिलाये जाने के लिये क्यों नहीं कहता हूं। डा० काटजू इन तीनों राज्यों को जानते हैं। मैं डा० काटजू से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन युवक मित्रों की यह मांग विचारनीय है या नहीं।

मैंने कहा कि मैं प्रशासनिक राज्य चाहता हूं इसमें मैं युद्धनीति को भी सम्मिलित करता हूं। हमें सीमान्त राज्यों के मामले में भाषा से किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़नी चाहिये। आसाम में प्रत्येक पहाड़ी पर अलग भाषा बोली जाती है। अगर आप केवल भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहते हैं तो मैं इसके विरुद्ध हूं। इस सम्बन्ध में मैं कोलकंज्यूमर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया की पांचवीं वार्षिक सभा में उसके सभापति के भाषण की ओर निर्देश करना चाहता हूं। सभापति महोदय ने कहा था कि इंजीनियरिंग एसोसियेशन आफ इण्डिया तथा कोलकंज्यूमर्स एसोसियेशन आफ इण्डिया दोनों ही १९४७ से सरकार से केन्द्र के अधीन एक औद्योगिक प्रान्त बनाने के लिये कहते रहे हैं, जिसमें कोयले की दो बड़ी खानें, बंगाल और बिहार के लोहे के कारखाने, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, सिन्द्री कृषिसार फैक्टरी, बोकारो तथा दामोदर घाटी के बिजली घर आदि हों। दूसरे शब्दों में यह एक औद्योगिक प्रान्त हो और इस औद्योगिक प्रान्त का नाम झारखण्ड हो। एक ही राज्य में दो राजधानियां रखने के मामले में भी झगड़ा है। किन्तु पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। राज्यों के फिर से बनाये जाने के सम्बन्ध में सरकार के रुख से मैं चिन्तित हूं। मुझे आशा है कि इस विधेयक के तृतीय वाचन के समय सदन के नेता अथवा मेरे माननीय मित्र हम सब को इस बात का आश्वासन देंगे कि नये राज्यों के बनाये जाने के सम्बन्ध में सरकार इस नीति का अनुसरण करेगी। अन्यथा हम में से बहुत से उसी नीति का अनुसरण करेंगे जिसका कि आंध्रवासियों ने अनुसरण किया जिसे कि सरकार को मानना पड़ा। यह एक बड़े खेद की बात है कि सरकार में इतना साहस नहीं है कि वह देश को यह बता सके कि वह नये राज्यों के बनाने के सम्बन्ध में किन मूल सिद्धान्तों के अनुसार काम करेगी।

मेरी शुभकामनायें मेरे आंध्र के मित्रों के साथ हैं और उन्हें मेरा समर्थन भी प्राप्त है क्योंकि किसी समय मुझे भी उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री गाडगिल: कुछ प्रकार के मनुष्यों की वास्तविक मंशा समझना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार के लोगों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है—प्रतिभाशाली व्यक्ति और उन्मत्त लोग। आचार्य कृपलानी प्रतिभाशाली व्यक्तियों के वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, वह अब भी महात्मा गांधी को अपना आध्यात्मिक एंव राजनैतिक गुरू मानते हैं। भाषावार प्रान्तों के निर्माण के सम्बन्ध में पहला संकल्प सन् १९२२ में जब कि वह महात्मा गांधी द्वारा रखा गया था, पारित हुआ था। उस समय से ही आचार्य कृपलानी इस बात का समर्थन करते रहे हैं। वस्तुतः गत ३० वर्षों में यह प्रश्न हमारे राजनैतिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अब यदि हम इसका विरोध करें तो यह निस्सन्देह एक खेदजनक बात होगी।

मुझे प्रसन्नता है कि अब सरकार ने इस सम्बन्ध में एक निश्चित रवैया अपनाया है। इस प्रयोजनार्थ सरकार ने एक उच्चस्तरीय आयोग की भी नियुक्ति की है जो न केवल भाषा के प्रश्न पर बल्कि देश की सुरक्षा, आर्थिक दशा आदि अन्य विषयों की भी जांच करेगा। मेरी अपनी राय तो यह है कि सरकार जनता का पूर्ण सहयोग उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकेगी जब तक कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो हमारे सामने गत ३० वर्ष से है, सक्रिय रूप से विचार नहीं किया जायगा। यही कारण है कि सरकार ने एक प्रकार का पुनर्गठन आयोग स्थापित करना स्वीकार कर लिया है। हमारा एक फ़ेडरल संविधान है। ऐसे संविधान के अन्तर्गत, प्रशासन की कार्य-कुशलता के निमित्त यह आवश्यक है कि इतना बड़ा देश कई संघटक भागों में बंटा हो। फ़ेडरल सरकार को यह भी देखना होता है कि प्रादेशिक, प्रान्तीय, भौगोलिक, ऐतिहासिक हितों आदि में परस्पर मत-भेद न होने पाये। अतः फेडरल सरकार का एक यह भी कृत्य है कि वह अपने संशोधन में ऐसे उपबन्ध रखे कि देश के समस्त संघटक राज्यों में परस्पर समन्वय बना रहे। हमारा संविधान भी इन्हीं बातों पर आधारित है। केन्द्र तथा राज्यों की शक्ति तथा स्रोत बंटे हुए हैं। केन्द्रीय महत्व वाले विषय केन्द्र के तथा राज्यीय महत्व वाले विषय राज्यों के हाथ में हैं। जहां तक सुरक्षा, संचार, वाणिज्य तथा आर्थिक-नीति जैसी चीज़ों का प्रश्न है, ये केन्द्र के क्षेत्राधिकार में हैं। ये विषय राज्यों को नहीं दिए जा सकते।

अब प्रश्न यह नहीं है कि यदि आन्ध्र का प्रयोग सफल नहीं हुआ तो यह प्रयास त्याग दिया जायगा। आन्ध्र की सफलता अथवा विफलता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन करने का फैसला किया है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रश्न के उपरान्त यही प्रश्न प्रस्तुत था कि राज्यों का ऐसे ढंग से पुनर्गठन किया जाय कि स्थानीय हितों को अधिकतम सन्तोष मिल सके और वे राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में पूर्ण सहयोग दे सकें।

यदि आन्ध्र राज्य, जिस रूप में कि वह इस समय है, इस योग्य नहीं है कि वह सफलतापूर्वक चल सकें, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे समाप्त

[श्री गाडगील]

ही कर दिया जाय । आप हैदराबाद के लोगों को यह आश्वासन दे चुके हैं कि उन्हें अपनी राजनैतिक कार्याव्यिवस्था के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय करने का अवसर दिया जायगा । अब आपका कर्तव्य है कि अपने वायदे को निभायें । यदि इस वायदे को निभाया गया तो तेलुग भाषा-भाषी क्षेत्र आन्ध्र में, मराठी बोलने वाले क्षेत्र महाराष्ट्र में और कन्नड़ बोलने वाले क्षेत्र कन्नड़ भाषा-भाषी प्रान्त में चले जायेंगे ।

प्रत्येक प्रगतिशील सरकार का यह कर्तव्य है कि वह जनता के विचारों को पहले से ही समझे और यह महसूस न होने दे कि उसने कोई ऐसी चीज़ की है जिसका कि जनता विरोध करती आई है । वर्तमान आन्ध्र निर्माण के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही महसूस होने लगा है। मेरा निवेदन यह है कि अब जब कि सरकार ने प्रान्तों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग नियुक्त करने की वांछनीयता को स्वीकार कर लिया है—इन विषयों पर कोई विवाद नहीं रहना चाहिये । अतएव अब हमें इन बातों से परेशान नहीं होना चाहिये । आचार्य कृपलानी भी अपने प्रश्न द्वारा इस सिद्धान्त को मनवाने का प्रयत्न करें, यद्यपि मैं समझता हूं कि भारत के सब पक्ष भाषावार प्रान्तों के निर्माण के सिद्धान्त के प्रति वचनबद्ध हैं ।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि केन्द्र के लिये सुरक्षित शक्तियों में हस्तक्षेप किय बिना राज्यों का आन्तरिक प्रशासन इस प्रकार चलाया जाये कि उन लोगों को अधिक से अधिक सन्तोष मिल सके जो राज्यों का इस प्रकार पुनर्गठन करवाना चाहते हैं । मैं जानता हूं कि सभी समस्याएं कठिनाइयों से परिपूर्ण हैं । हमारे प्रधान मंत्री सभी समस्यायों—राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं और हम सब उनकी इस नीति के समर्थक हैं क्योंकि अब तक इसके अच्छे परिणाम निकले हैं ।

श्री बी० दास : बम्बई नगर तथा महाराष्ट्र के बारे में क्या रहा ?

श्री गाडगील : हम सारे प्रश्न पर संविधानिक तथा शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करेंगे । हमारे और गुजरातियों के बीच पूरा सहयोग रहेगा । वे लोग धनी हैं और हम निर्धन । हम आस्तियां बिना किसी हिंसात्मक कार्यवाही के बराबर बराबर बांट लेंगे तथा एक दूसरे को सहयोग देंगे । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम एक दूसरे से अलग अच्छे मित्रों तथा अच्छे नागरिकों के रूप में होंगे ।

अतः इस विषय में हमें बड़ी सावधानी से अग्रसर होना है और अनुचित विलम्ब भी नहीं करना है क्योंकि राजनीति में अनुचित विलम्ब के बड़े खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। मैं समझता हूं कि विगत काल में जो कुछ हुआ उसको ध्यान में रखते हुए मेरी बात की और भी अधिक पुष्टि हो जाती है। अतएव हमें आशा करनी चाहिए कि सरकार वर्तमान को ध्यान में रखते हुए साहसपूर्ण कदम उठायेगी और उन लोगों के हितों के प्रति न्याय करेगी जो गत तीस वर्ष से भाषावार प्रान्तों के निर्माण की आवाज़ उठा रहे हैं अब ३२ वर्ष बाद सारी चीज़ को बदलना एक दुखपूर्ण घटना होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री चट्टोपाध्याय (विजयवाड़ा) : आप कल्पनाशील होने के नाते जानते हैं कि चर्चा के अंत की ओर वक्ताओं और श्रोताओं के थक जाने और सभी कथनीय बातों के कहे जा चुकने के कारण बोलने वाला कितने घाटे में रहता है । मझे भाषावार राज्यों के बारे में नहीं , बल्कि खंडित राज्यों के बारे में बोलना है, जिसे सरकार युक्तियों पर बिना ध्यान दिए झूठे बहानों के साथ बनाने जा रही है ।

देश में एक नए युग का सूत्रपात करने की दृष्टि से इस विधेयक का विशेष महत्व है। आंध्र राज्य की स्थापना के लिए आंध्रवासियों द्वारा किए गए ४० वर्ष के अथक संघर्ष और त्यागमूर्ति श्रीरामुलु के महान बलिदान के कारण आंध्र राज्य की स्थापना हो रही है । सरकार दयापूर्वक यह नहीं करने जा रही है बल्कि यह राज्य उससे जबरदस्ती बनवाया जा रहा है और वैसे ही अन्य राज्य भी बनवाए जाएंगे ।

मैं बंगाली हूं अर्थात् आंध्र के बाहर का निवासी हूं, पर मेरा जन्म और लालन पालन आंध्र में हुआ था और पुमभूर तेलूग के लोक-गीतों ने मेरी कल्पना पर अमिट प्रभाव डाला है । पर एक भारतीय के नाते इस विधेयक के व्यापक प्रभाव को देखते हुए ही मैं इस पर कुछ कहने को उद्यत हुआ हूं । एक सच्चा कवि निश्चिय ही यथार्थवादी होगा और मुझे विश्वास है कि इस विसंगठन का निश्चित लक्ष्य भारत के इतिहास में सबसे पहली बार एक वास्तविक और दृढ़ एकता स्थापित करना है ।

भारत की एकता--सांस्कृतिक एकता की बात में कुछ सचाई नहीं है । पूरे देश की यात्रा करते समय आपको आश्चर्यजनक विविधता के दर्शन होंगे । प्रत्येक प्रांत का पृथक जीवन है पृथक आचरण है और पृथक आहार बिहार है, पृथक विचारधारा है और पृथक वातावरण है । अतः मेरे विचार से प्रत्येक राज्य को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए । विविध संस्कृतियों के विकास द्वारा ही भारत महान बन सकेगा और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को कुछ दे सकेगा ।

लोक-कथा के उस सम्राट् की मंत्रि-परिषद समुद्र की लहरों को बढ़ने से न रोक सकी थी, उसी प्रकार आंध्र राज्य की स्थापना में निहित तर्क की लहरों को भी न रोका जा सकेगा । कल श्री कृपलानी जैसे एक दिग्गज और अनुभवी राजनीतिज्ञ को यह कहते सुन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाषावार राज्यों की चर्चा एक सनक है । उनकी यह बात ही सनकपूर्ण है और वैसे ही उनके द्वारा रखे गए दो तीन तर्क भी हैं । उन्होंने कहा कि अकाल के समय में भी लोग भूखी जनता को बिसरा कर भाषावार राज्यों की ही मांग करते रहे । मैं उनको याद दिला दूं कि 'सरकार' प्रदेश के सभी दलों ने अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए खूब चंदे दिए थे । अतः उनके इस कथन में रंचमात्र भी सचाई नहीं है ।

फिर उपमंत्री जी ने सरकारी और विपक्ष दोनों ही ओर के सदस्यों के ऊपर अमर्यादित और असंसदोचित भाषा के प्रयोग का दोष लगाया है, पर स्वयं उनकी आलोचना ही अमर्यादित और असंसदोचित

[श्री चट्टोपाध्याय]

थी, और उसमें एक मंत्री के भाषण की वह ध्वनि थी, जो तर्कों के दुर्बलतम होने पर तीव्रतम विरोध में प्रकट होती है ।

श्री मिश्र की सिफारिशों को अन्तः-कालीन मानते हुए सदन की प्रत्येक ओर से यह विचार व्यक्त किया गया है कि बेलारी के महत्वपूर्ण प्रश्न पर फिर विचार किया जाए । बेलारी ताल्लुक और कस्बे के बहुसंख्यक निवासी मुसलमान हैं और वे पीढ़ियों से—गृह मंत्री, गृह उपमंत्री और हम सब के जन्म से भी बहुत पहले से—वहां रहते चले आए हैं । बेलारी के आंध्र या कर्नाटक में विलय में उनकी बात न सुनना घोर अन्याय होगा और इस कारण वहां जनमत संग्रह अत्यावश्यक है । बेलारी की बात लोगों के मन में सदैव खटकती रहेगी । अतः सरकार को विवेक पूर्वक अपना निश्चय बदल लेना चाहिए ।

फिर आस्तियों और दायित्वों का प्रश्न है, जो तामिल, आंध्र और इस संसद् सब का सर दर्द बन रहा है । वित्त मंत्री के शब्दों का उपलक्षण लेते हुए हमें कहना चाहिए कि यह आस्तियों का नहीं बल्कि केवल दायित्वों का ही प्रश्न है । वित्त मंत्री जी ने बताया के हमें अवशिष्ट राज्य का पोस्टमार्टम नहीं करना है । पर शेष राज्य को शवतुल्य बताना तामिल वालों का अपमान है । इस अवस्था के लिए राजाजी भी बहुत कुछ दोषी हैं । वित्त मंत्री कहते हैं कि हमें अतीत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर उसी सांस में वह कहते हैं कि अतीत के अभिशाप के रूप में चले आते हुए इन दायित्वों में आंध्रवासियों को भी भाग लेना चाहिए । ये दोनों बातें एकदम कैसे हो सकती हैं ? यदि अतीत को लेकर चलना है, तो उसका मूल्यांकन और लेखा-जोखा करना होगा, अन्यथा अतीत को सर्वथा बिसरा दीजिए । आंध्रवासी अपने स्वर्णतुल्य कोयले, अभ्रक, अयोलोहक (मेंगनीज़), मनोरम नदियों और अपने साहित्य और मस्तिष्क के साथ स्वयंमेव अपना पुनर्निर्माण कर लेंगे । यदि कुछ वर्ष पहले से आंध्र राज्य बन गया होता, तो आज गोदावरी की विकट बाढ़ ने खेतों और गांवों की यह दुर्दशा न की होती । ऐसे विशाल और उद्धत नद के लिए एक बांध उपहास नहीं तो और क्या है ?

मुझे आशा है, आंध्र राज्य का निर्माण विशाल आंध्र राज्य के निर्माण की ओर ले जाएगा । काका गाडगील के शब्दों में मैं भी हैदराबाद के विसंगठन का समर्थक हूं और हृदय में विसंगठन होते ही वाह्य विसंगठन भी आवश्यक हो जाता है । काका साहब के 'कुर्नूल से हैदराबाद' शब्दों में अवश्य "विजयवाड़ा से हैदराबाद" यह संशोधन करते हुए मैं कहूंगा कि आंध्र देश का हृदय विजयवाड़ा है, जहाँ से नए सीमांतों तक रक्त की प्रणालियां वह सकेंगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : हम ने आज प्रातः कई दिलचस्प भाषण सुने । आस्तियों के वितरण तथा ऋणों की बांट पर जो भाषण हुये, उन से ऐसा लगता था कि गोया हम पाकिस्तान जैसे देश विभाजन का सामना कर रहे थे । आखिर, हम सभी भारत में हैं । मैं सम्बन्धित पक्षों से प्रार्थना करता हूं कि वह उदारता से इस समस्या का निवारण करें जिसे कि समस्त सम्बन्धित राज्य तथा समस्त सम्बन्धित लोग सद्भावना तथा सहानुभूति के साथ एक दूसरे से अलग हो जायें ।

इतना ही नहीं, अपितु रायलसीमा तथा सरकार की जनता के बीच भी आपसी सद्भावना होनी चाहिये । मुझे मालूम है कि रायलसीमा की जनता आन्ध्र राज्य नहीं चाहती थी, यही कारण था कि उन्हों ने अपने कालिज मद्रास विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कराये, तथा आन्ध्र विश्वविद्यालय के साथ नहीं कराये । किन्तु आज वह फिर अपने कालिजों को आन्ध्र विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कराने चाहते हैं । यह तो स्वाभाविक ही है । मैं अपने सरकारी मित्रों से अपील करूंगा कि वह रायलसीमा की जनता के साथ हमदर्दी दिखायें । उन्हें डर है कि कहीं राजधानी का झगड़ा गड़बड़ का कारण न बन जाये । मैं निवेदन करता हूं कि कुरनूल केवल अस्थाई राजधानी है । अधिकांश लोग यह जानते हैं कि हैदराबाद आज न कल, कल न परसों आन्ध्र में अवश्य ही आ जायगा । मैं समझता हूं कि पांच वर्ष बीत जाने से पूर्व ही यह आन्ध्र में शामिल होगा । ऐसी दशा में कोई कारण नहीं कि राजधानी की समस्या क्यों वहां के लोगों के मन मुटाव का कारण बन जाय ।

मुझे मालूम है कि आन्ध्रवासी बहादुर हैं, साहसी हैं तथा भलेमानस हैं । उनके पास बड़े साधन हैं । कृष्णा तथा गोदावरी नदियों का केवल आठ प्रतिशत जल इस समय काम में लाया जा रहा है । यदि वह शेष जल को भी काम में लायें तो वह सारे आन्ध्र को हरा भरा बना सकते हैं । किन्तु उन में एक कमी है और वह कमी एकता की है । आन्ध्र भाई मुझे मेरी इस स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करेंगे । मैं वहां की जनता तथा वहां की सभी पार्टियों से अपील करूंगा कि वह संगठित हो कर काम करें । केवल उसी एक बात से उनका वैभव बढ़ेगा ।

मुझे खेद है कि कुछेक सदस्यों ने अपने भाषणों में मद्रास के कुछ मंत्रियों का ज़िक्र करके बताया कि वह कुछ खराबियों के लिए ज़िम्मेदार थे । वह एक समय मेरे सहयोगी थे तथा मैं कह सकता हूं कि मंत्रिमंडल द्वारा कोई कार्य करते समय न केवल प्रदेशों के लोगों की अपितु विभिन्न ज़िलों के लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता था । प्रत्येक ज़िले की जनसंख्या को ध्यान में रख कर वहां धन व्यय किया जाता था । रामपाद सागर परियोजना के साथ साथ हम ने तुंगभद्रा परियोजना को भी कार्य रूप देने का प्रयत्न किया था । किन्तु हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि केंद्रीय सरकार ने टैक्नीकल आधार पर इसका काम रोक दिया ।

दुर्भाग्यवश यह एक वास्तविकता है कि आज हमारे पास कोई फालतू धन नहीं तथा हम केवल दायित्वों को ही बांट रहे हैं । यह सत्य है कि एक समय हमारे पास ३८ करोड़ रुपया इकट्ठा किया हुआ राजस्व था । परन्तु उस धन का क्या हुआ । गत पांच छः वर्षों के बजट कोई गुप्त दस्तावेज़ नहीं हैं । उनको देखने से पता चलता है कि यह धन सारे मद्रास राज्य, जिस में कि आन्ध्र तामिलनाड तथा मालाबार भी शामिल हैं, कि समृद्धि पर व्यय किया गया है । मेरे मित्रों के दिल में यदि कोई ग़लत ख्याल हो, तो मैं उसे दूर करना चाहता हूं । यह दूसरी बात है कि मंत्रियों ने अन्य मनुष्यों की तरह गलतियां की हों । परन्तु जहां तक उनके सदभावों का सम्बन्ध है, कोई अनुचित बात नहीं कही जानी चाहिये ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

वित्त आयोग की नियुक्ति तथा तुंगभद्रा परियोजना इन दो विषयों पर अधिकांश आन्ध्र सदस्य बोले। कहा गया है कि ऐसा वित्त आयोग वर्तमान मद्रास राज्य की परिसम्पत तथा दायित्वों की जांच करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह आयोग किस काल के लिए जांच करेगा। क्या यह स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के काल के लिए जांच करेगा। अथवा १९३५ के बाद के समय के लिए ; अथवा क्या यह शुरु से ही अर्थात् १८५८ से जबकि मद्रास राज्य बनाया गया था जांच करेगा। यह समस्या कठिनाइयों से परिपूर्ण है। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता हूं किन्तु यह बात मानी गई है कि आन्ध्र क्षेत्र से शेष मद्रास क्षेत्र की अपेक्षा आय कम प्राप्त होती है। ऐसे प्रश्न उठाने से झगड़े का कहीं अन्त हो नहीं होगा, मैं समझता हूं कि इस विधेयक में जो सिद्धान्त निर्धारित किये गए हैं, वह सब को मान्य होंगे। जनसंख्या को इन सिद्धान्तों का आधार बनाया गया है तथा इस में कोई फेर बदल नहीं होना चाहिय।

जहां तक इस विधेयक के खंड ५१ का सम्बन्ध है, मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रपति को इस में दिये गए मामलों में हस्तक्षेप करने का बहुत ही कम अवसर प्राप्त होगा तथा सम्बन्धित पक्ष सद्भावना के साथ इन्हें आपस में सुलझाते रहेंगे। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि राष्ट्रपति जब कभी इन मामलों पर अपना फैसला देंगे तो वह उन्हीं सिद्धान्तों का अनुसरण करेंगे जोकि इस विधेयक में दिय गए हैं। कुछ क्षेत्रों में यह आशंका है कि राष्ट्रपति शायद इन सिद्धान्तों के आधार पर काम न करके, दूसरे सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

माननीय गृह मंत्री ने बताया कि वह इस विधेयक में सीमा आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में उपबन्ध रखेंगे। हम इसके लिए उनके आभारी हैं। हमारे विचार में यह काम एक शासकीय आदेश द्वारा किया जाना चाहिये क्योंकि हमें हर दशा में बाद में संविधान का संशोधन करना पड़ेगा।

मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम किसी भी व्यक्ति को ज़बर्दस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। यदि तामिलनाड़ में रहने वाला कोई आन्ध्र वहां से जाना चाहे तो हम उसकी राह में रुकावट नहीं डालेंगे।

जहां तक तुंगभद्रा परियोजना का सम्बन्ध है, मेरी पूर्ण सहानुभूति अपने आन्ध्र-वासी मित्रों के साथ है। प्रश्न यह है कि तुंगभद्रा को रक्षित रखा जाना चाहिये। इस बांध के प्रबन्ध कार्य में मद्रास राज्य को भी उचित स्थान मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बात पर वित्त मंत्री जी तथा गृह मंत्री जी के बीच चर्चा हुई है तथा उनका कहना है कि खंड ६६ का उप-खंड (५) इसका उपबन्ध रखता है।

मैं अपने आन्ध्र भाइयो को अपनी शुभ-कामनाएं भेजता हूं तथा चाहता हूं कि आन्ध्र राज्य समृधि के पथ पर अग्रसर हो।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम (बेल्लारी): आन्ध्र राज्य के निर्माण के महत्वपूर्ण अवसर पर जब कि इस महान देश का भाषा के आधार पर पुनर्विभाजन आरम्भ हुआ है मैं

अपने आँध्र प्रदेश के मित्रों को बधाई देता हूं।

जन गणना के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि मद्रास राज्यके तेलगू बोलने वाले क्षेत्रों से आंध्र राज्य की रचना की जाए। श्री जस्टिस वांचू ने आर्थिक और अन्य आधारों सहित जन-गणना को भी आधार भूत मान कर बेलारो ज़िले के तीन तालुक और अन्य ग्यारह ज़िलों द्वारा आंध्र राज्य की स्थापना का निर्णय दिया, कुछ वक्ताओं ने अभी बताया कि जनगणना की रिपोर्टों को दुषित किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों की सीमा निर्धारिण के लिए जन गणना के प्रतिवेदन ही आधार होने चाहियें। मैं इस वक्तव्य का विरोध करता हूं कि जनगणना के आंकड़ों को दूषित किया गया है। सभा में बेलारी तालुक पर बहुत चर्चा हुई है परन्तु जन-गणना अधिकारियों ने वहां के आंकड़े बहुत ध्यान पूर्वक एकत्र किये हैं। कन्नड़-गियों और आंध्रों ने कुछ शिकायतें की थीं परन्तु वे निराधार प्रमाणित हुई। इस लिए मैं आग्रह करता हूं कि भाषा के आधार पर किसी भी विशेष क्षेत्र को स्थापना का निर्णय केवल जनगणना के आधार पर ही होना चाहिये।

श्री जस्टिस वांचू ने अपने प्रतिवेदन में निश्चयात्मक रूप से यह निर्णय दिया है कि बेलारो तालुक मुख्यतया कन्नड़ तालुक है। तत्पश्चात् न्यायाधिपति मिश्र ने कष्ट-पूर्ण प्रयास किया तथा फिरके, तालुक और गांव के आधार पर विचार किया। उन्होंने भी पूर्व निर्णीत निर्णय ही दिया कि बेलारी मैसूर को मिलना चाहिये।

ज़िला तथा केन्द्रीय गज़ट में यह वर्णित है और भारत सरका ने भी निर्णय दिया है कि बेलारी तथा अन्य ६ तलुाक मैसूर को दिए जाने चाहिये। इस पर पुनः चर्चा नहीं होनी चाहिये।

आशा है कि सीमा के विवादों के लिए शोघ्र ही सीमा आयोग नियुक्त किया जायगा, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार के निकट के राज्यों के प्रतिनिधियों की सहायता लेनी चाहिये।

हमें विश्वास है कि राज्यों का भाषा के आधार पर विभाजन प्रशासकीय सुविधा के लिए है। इस के लिए हमें वैधानिक सीमाओं का ध्यान रखना चाहिये। हमें यह देखना होगा कि क्षेत्रों के आदान प्रदान में विवाद कटुता विरोध अथवा रोष उत्पन्न न हो। भाषा के आधार पर विभाजन में एक भय है कि कुछ स्थानों पर विवाद और अवहेलना उत्पन्न न हो जाए। यदि इस भय पर काबू न पाया गया तो राष्ट्र बल के अस्त-व्यस्त हो जाने की संभावना है।

कुछ माननीय मित्रों ने तुंगभद्रा परि-योजना के सम्बन्ध में यहां तक कहा है कि यह आंध्र आन्दोलन का फल है, इस लिए इस का लाभ आंध्र राज्य को मिलना चाहिये, इस योजना को बनाने वाले प्रथम इंजीनियर सर आर्थर काटन हैं और यह दीर्घ कालीन दुर्भिक्ष सहायता की योजना है। इस क्षेत्र में कन्नड़ और तेलगू दोनों भाषाएं बोलने वालों पर प्रायः दुर्भिक्ष के प्रहार होते रहते हैं। एक मित्र ने कहा है कि कन्नड़गी इस योजना के विरोधी थे। यह सर्वथा गलत है। उनका तो केवल यह प्रस्ताव था कि यह परियोजना और बड़ी हो जिस से न केवल बेलारी ज़िला वरन अनन्तपुर और कुरनूल के क्षेत्रों को भी सींचा जा सके। अभी २० दिन पूर्व इस दक्षिण भारत के सब से बड़े जलाशय के जल में कोई ६५ गांव जलभग्न हो गए। गांव के लोगों को घरों

[श्री टी० सुब्रह्मण्यम्]

तथा भूमि को बलि देनी पड़ी थी और बहुत कष्ट सहने पड़े थे, मैं भेद भाव उत्पन्न करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा। परन्तु मैं इस बात का विरोध करता हूं कि केवल एक ओर के व्यक्तियों का इस पर एकाधिकार हो। यह सर्वथा वास्तविक स्थिति के प्रतिकूल है। हमें उन लोगों का गर्व है जिन्होंने यह जलाशय बनाया। इसके निर्माण में तामिलनाड, मलावार, आंध्र, करनाटक और महाराष्ट्र सब स्थानों के इंजीनियरों ने भाग लिया। विशाखापटम के तेलगू बोलने वाले श्रमिकों की एक बस्ती भी थी। सारे भारत के ठेकेदारों ने कार्य में भाग लिया। इस लिये मैं कहूंगा कि इस के लाभों पर एक भाषा भाषी दल द्वारा एकाधिकार की मांग स्थिति के सर्वथा प्रतिकूल है।

मैसूर और आंध्र के लोग बैठ कर इस के जल का बंटवारा कर सकते हैं। इस के निर्णय में क्षुद्र हृदयता नहीं होनी चाहिये।

इस विधेयक के खंड ४१ द्वारा उन क्षेत्रों को मैसूर के उच्च-न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लाया गया है जो इस राज्य में खण्ड ४ उपखण्ड (१) के अधीन मिलाए गए हैं। मद्रास उच्च-न्यायालय के विचाराधीन मामले भी मैसूर उच्च-न्यायालय को हस्तान्तरित किए गए हैं। ऐसे उपबंध के साथ मैं यह चाहता हूं कि यह उपबंध भी किया जाए कि हस्तान्तरित क्षेत्रों के अधिवक्ता भी बिना अतिरिक्त शुल्क दिए मैसूर उच्च-न्यायालय में प्रमाणित हो जाएं।

खण्ड ६० की ९वीं अनुसूची में आंध्र के लोगों को कुछ संस्थाओं में रक्षण के अधिकार दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि हस्तान्तरित क्षेत्र के लोगों को ऐसी संस्थाओं में, जो मैसूर राज्य में नहीं है वैसे ही अधिकार मिलते रहें जो आंध्र निवासियों को रहेंगे।

मैं आंध्र राज्य के लिए सद्भावना रखता हूं और चाहता हूं कि यह समृद्धशाली और सशक्त राज्य बने।

श्री मुनिस्वामी (टिंडिवनम) : ४० वर्ष के कठिन प्रयास के पश्चात आंध्र राज्य के नव जन्म पर मैं आंध्रजनों को तामिलजनों की ओर से बधाई देता हूं।

आंध्र के कुछ मित्रों ने इस शुभ अवसर पर तामिलजनों के कुछ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में कहा है। श्री रघुरामय्या और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि उन से मद्रास तथा बेलारी शहर छीन लिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो वस्तु उन के पास है नहीं वह उन से कैसे छीनी जा सकती है।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम) : यदि उन का संयुक्त अधिकार हो।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरु) : यह युक्ति निरर्थक है।

श्री मुनिस्वामी : विघ्न के लिए धन्यवाद--वे ठीक कहते हैं कि वे एक सौ वर्ष पश्चात मद्रास ले लेंगे और मैं चाहता हूं कि वे ५ सौ वर्ष पश्चात देहली ले लें।

श्री रघुरामय्या ने कहा कि सलेम ज़िला, चिंगलीपट ज़िला तथा उत्तरी अरकाट के कुछ स्थान उन्हें मिलने चाहियें पांडीचेरी के कुछ गांव भी तैलगू भाषा भाषी हैं तब तो उन्हें पांडीचरी भी ले लेनी चाहिये।

मद्रास ही की बात को लें मद्रास निगम में कुल कितने सदस्य हैं? उन में

कितने आंध्रजन हैं ? मैं नहीं समझता कि वे क्यों तामिलजनों पर आक्षेप करते हैं।

प्रतिकर के सम्बन्ध में तामिलजनों को लगभग २ करोड़ रुपया देने के लिए क्यों बाध्य किया जाता है। आंध्र राज्य की किस ने मांग की थी ? किस ने इसे स्वीकार किया था ? हमारा इस से क्या सम्बन्ध है ? केन्द्रीय सरकार को यह रुपया देना चाहिये।

पता लगा है कि केन्द्रीय सरकार सीमा आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है। चित्तूर में इस समय भी विवाद चल रहा है। वहां कुछ ऐसे तालुके हैं जिन में तामिलजनों की बहुसंख्या है। कुछ गावों में देखा है कि मतदाताओं की सूची में तामिलजनों को भी आंध्रजन लिखा है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सीमा आयोग ठीक समय पर नियुक्त करना चाहिये। चित्तूर किथूर इत्यादि ऐसे स्थान हैं जहां तामिलजन बहुसंख्या में हैं। चित्तूर जिला के सरकारी कार्यालयों में 'एन० ए०' ब्लाक है और मील के पत्थरों पर एन० ए० लिखा हुआ। यह कभी उत्तरी अरकाट जिले का भाग था। क्या केवल इसलिए कि हम झगड़ालू और शरारती नहीं हैं हम से सब कुछ छीना जा रहा है।

मैं चाहता हूं कि विधयक को शीघ्र पारित किया जाए। इसे प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। मद्रास उच्च-न्यायालय की सिफारिश के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं कि आंध्र राज्य का पृथक उच्च-न्यायालय १ जून १९५४ को स्थापित किया जाए।

तुंगभद्रा परियोजना के सम्बन्ध में श्री सुब्रह्मण्यम ने ठीक कहा है कि हम ने वहां इंजीनियर सुपरिनटेंडेंट और श्रमिक भेजे। परन्तु हमारे आभारी होने की बजाए वे हम पर आक्षेप करते हैं कि हम ने अनुचित कार्य किया है और दुर्व्यवहार किया है।

शेष प्रांत को तामिलनाड क्यों न कहा जाए। श्री शंकरन नायर ने १९२६ में कौंसिल आफ स्टेट में इसी प्रकार का संकल्प प्रस्तुत किया था। अब इस संकल्प के अनुसार कार्य किया जा सकता है। शायद कुछ लोग इसे पसंद न करें पर मैं उन से कहूंगा कि तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषाऐं तामिल से ही निकली हैं। यदि वह शब्द पसंद न हो तो 'द्रविड नाडू' नाम भी रखा जा सकता है। इस में कोई हानि नहीं है। उसे 'बचा हुआ मद्रास प्रांत' नहीं कहना चाहिए।

मैं विशारद समिति को नियुक्ति आवश्यक नहीं समझता। उन्हों ने वित्त आयोग की सिफारिशों के विषय में कुछ नहीं कहा। आयोग ने इस बात की भी जांच की थी और कहा था कि निधि २० प्रतिशत वसूली के अनुसार तथा ८० प्रतिशत जन संख्या के अनुसार बांटी जानी चाहिए। इस का अनुसरण किया जाना चाहिए।

आंध्र की राजधानी के विषय में केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश की है कि कुरनूल राजधानी बनाई जाए। मेरी भी यही इच्छा है क्यों कि रायलसीमा के लोगों का हमें आदर करना चाहिए। हम आंध्र की सब तरह से सहायता करेंगे। परन्तु वे आपस ही में लड़ रहे हैं। वे चाहे जिस को अपना नेता चुन लें।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडे) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। आज श्री गाडगिल ने भाषावार राज्यों का अर्थ बतलाया। उन्हों ने बतलाया कि इससे भारत की एकता खंडित न होगी। परन्तु उन्हों ने आचार्य कृपलानी के विषय में जो कुछ कहा उससे मैं सहमत नहीं हूं। कृपलानी जी ने इस प्रश्न का महत्व बतलाया था तथा भाषावार प्रांतों की रचना का समर्थन करते हुए उन्होंने केवल यह बतलाया था कि किस प्रकार कहीं कहीं इससे हानि हो सकती है। हमारा राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य है। अतएव आवश्यक यह है कि राज्य शासन उस भाषा के माध्यम से हो जिसे उस राज्य के अधिकांश लोग समझते हों। कांग्रेस ने तथा गांधी जी ने ऐसे प्रांतों की रचना को स्वीकार किया था। सरकार इस कार्य में बाधा डाल रही है। इससे लोगों को बड़ा कष्ट सहना पड़ा है। धर आयोग ने तथा जयपुर कांग्रेस द्वारा नियुक्त समिति ने आंध्र राज्य की रचना की सिफारिश की थी फिर भी सरकार ने इस कार्य में रोड़े अटकाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सरकार ऐसी बाधाएं फिर कभी उपस्थित न करे।

मुझ से पहले बोलने वाले मित्र ने तामिलनाड के बारे म कहा। बचे हुए मद्रास राज्य को यह नाम दिया जा सकता है परन्तु मद्रास राज्य के उन भागों को त्रावनकोर कोचीन में मिला दिया जाना चाहिए। इस से केरल राज्य भी बन जायेगा। जयपुर कांग्रेस की भाषावार प्रांत समिति ने कहा था कि जब तक भारतीय रियासतों का प्रश्न नहीं सुलझता तब तक केरल और कन्नड़ राज्य नहीं बन सकते। बेलारी जिले के कुछ तालुकों के मैसूर राज्य में मिल जाने से इस प्रश्न को सुलझा हुआ समझा जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के सिद्धान्तों के अनुसार यह नहीं हो सकता था। अब मद्रास राज्य के वे क्षेत्र जहां मलयालम बोली जाती है। त्रावणकोर कोचीन में जोड़ दिये जाने चाहिए जिस से कि नये केरल राज्य की स्थापना हो सके।

श्री वेंकटारमन (तंजौर): क्या त्रावणकोर कोचीन के तामिल भाषाभाषी क्षेत्र भी अलग कर दिए जायेंगे ?

श्री दामोदर मेनन : यह प्रश्न नहीं उठता। राज्यों की रचना में भाषा के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा।

श्री नेसामनी (नागरकोइल) : और तामिलस्तान ?

श्री दामोदर मेनन : जयपुर कांग्रेस की भाषावार समिति ने कहा है कि राज्यों का भाषावार स्पष्ट सीमांकन होना कठिन है। कुछ क्षेत्रों में दो भाषाएं बोली जाती हैं। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्यों की रचना में भाषा के अतिरिक्त प्रशासन सुविधा, इतिहास, भौगोलिक रचना, अर्थव्यवस्था। संस्कृति आदि बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। राज्यों की सीमाएं स्थित करते समय हमें जनमत पर निर्भर न रहना चाहिए। यह बात सीमा आयोग द्वारा तय की जानी चाहिए।

केरल राज्य की स्थापना आवश्यक है। आशा है केन्द्रीय सरकार उचित समय पर इस दावे को पूरा करेगी। भाषावार राज्य बनाने का प्रश्न उत्तर भारत में नहीं उठता पर उत्तर भारतीयों को चाहिए कि वे हमारी मांग पर ध्यान पूर्वक विचार

करें । उत्तर भारत प्रशासन के आधार पर कई राज्यों में बांटा जा सकता है । उत्तर भारत के निवासियों को भाषा की कठिनाई भी नहीं है क्योंकि राष्ट्रभाषा हिन्दी है जो उनकी मातृभाषा है । अन्य राज्यों के लोगों को यह कठिनाई है । अतएव उत्तर भारत के लोगों को चाहिए कि वे हमारी मांगों पर सहृदयतापूर्वक विचार करें ।

बेलारी जिले के विभाजन पर मेरा मत था कि मिश्र रिपोर्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए । उस में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं । इस आन्दोलन को समाप्त करना चाहिए । तुंगभद्रा योजना के हेडवर्कस उस तालुके में हैं जो अब मैसूर को दिया जा रहा है । इस में जनमत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है । जस्टिस वांचू चाहते थे कि सारा बेलारी जिला आंध्र में मिला दिया जाए परन्तु सरकार ने मिश्र रिपोर्ट को मान कर ऐसा नहीं किया । इस प्रश्न को सुलझाने के लिए दूसरी समिति अथवा आयोग नियुक्त किया जा सकता है ।

जिस तरह मद्रास राज्य की आस्तियों और दायित्व का विभाजन किया गया है वह मुझे मंजूर है ।

हमें चाहिए कि उसे हम स्वीकार कर लें । केन्द्रीय उत्पादकर और केन्द्रीय आय-कर तथा सड़क निधि में बचे हुए मद्रास राज्य को घाटा रहा है । पर इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए ।

मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री राजगोपाल राव ?

श्री राजगोपाल राव : आठ मास पूर्व प्रधान मंत्री की घोषणा को सुन कर जो आशाएं हमारे मन में जागृत हुई थीं आज उनको पूरा न होते देख कर हमारे मन खिन्न हो गए हैं ।

सरकार ने, श्री जस्टिस वांचू को, आन्ध्र के सम्बन्ध में वित्तीय तथा अन्य बातों पर बिचार करने तथा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए, नियुक्त किया था और उन्होंने बड़ी मेहनत से एक अतिसुन्दर प्रतिवेदन तैयार किया है । आन्ध्र प्रश्न का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने विचार न किया हो । फ़िर भी सरकार ने उनके इस कठोर परिश्रम पर कोई विचार नहीं किया और न उस प्रतिवेदन पर कोई ध्यान दिया ।

उदाहरण के लिए अस्थायी राजधानी के ही प्रश्न को लीजिए जस्टिस वांचू का सुझाव था कि तीन साल से पांच साल तक के काल के लिए आन्ध्र की अस्थायी राजधानी, 'मदरास' ही में बना दी जाय । पर सरकार ने इस को नहीं माना । संघ सरकार पंजाब को इस बात के लिए राजी कर सकती है कि अस्थायी रूप से नहीं वरन् सम्भवतः सदा के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ वह अपनी राजधानी में हिस्सा बटाता रहे परन्तु मदरास के अवशिष्ट राज्य से यह नहीं कह सकती थी कि आन्ध्र की राजधानी उसी स्थान में रहने दी जाय जिस के विकास में आन्ध्र द्रव्य, बुद्धि तथा पराक्रम ने भी पर्याप्त भाग लिया है । दूसरा सुझाव जस्टिस वांचू का यह था कि विशाखापटनम वालटायर में राजधानी बनायी जाय । यदि सरकार इस सुझाव को मान लेती तो कोई भी झगड़ा न पैदा होता । आन्ध्र के कुछ शत्रुओं को, ब्रिटिश सरकार की भांति

[श्री राजगोपाल राव]

आन्ध्रवासियों को आपस में लड़ाने में आनन्द आता है ।

अब भी कुछ देर नहीं हुई है । अच्छा हो कि जस्टिस वांचू की सिफ़ारिशों के अनुसार, राष्ट्रपति अस्थायी राजधानी का निर्णय स्वयं कर दें । बाद में आन्ध्र-वासी अपनी स्थायी राजधानी के लिए, श्री बाघ समझौते के अनुसार, कोई स्थान ढूंढते रहेंगे ।

जस्टिस वांचू ने आपद्ग्रस्त क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त करने का सुझाव रखा था। प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि सीमा आयोग नियुक्त किया जायगा परन्तु विधेयक में इस को कोई स्थान नहीं दिया गया है और न इस में ऐसे आयोग का अधिकार क्षेत्र ही बताया गया है । उदाहरण के लिए ब्रिटिश सरकार ने, साईमन कमीशन का बहिष्कार करने के कारण, हमारे दो आन्ध्र ज़िले 'कोरापूत' तथा 'गंजम', उड़ीसा के साथ मिला दिये । यह ऐसा अन्याय है कि स्वतन्त्र भारत की सरकार का कर्तव्य है कि इस को तुरन्त दूर करे । सीमा आयोग के सम्बन्ध में डा० काटजू का मन्तव्य असन्तोषजनक है और मुख्य लक्ष्य को ही विसरा देता है ।

एक ओर तो सरकार मदरास में अस्थायी राजधानी तक के रहने देने के विरुद्ध है और दूसरी ओर उच्च-न्यायालय को वहीं रखना चाहती है । मेरे विचार से गुंटूर में उच्च-न्यायालय का रहना अधिक उपयुक्त रहेगा । उच्च-न्यायालय का मदरास में रहना संविधान की दृष्टि से भी उचित न रहेगा क्योंकि अनुच्छेद २२३ (क) के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति मदरास के राज्यपाल के परामर्श से होंगी जो उचित न होगा । राज्य के लोक सेवा योग का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि प्रशासनीय कर्मचारियों का चुनाव केवल गुणों के आधार पर ही होना चाहिए, राजनीतिक, वर्गगत या अन्य आधारों पर नहीं । आशा है सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और भ्रष्टाचार का विरोध करेगी ।

आन्ध्र में मंत्रि मंडल का बनना फ़ान्सीसी मंत्रि मण्डल की भांति दुष्कर हो जायगा क्योंकि किसी दल विशेष के बहुसंख्यक न होने से मिली-जुली सरकार बनाना अति आवश्यक हो जायगा जो एक नये राज्य के लिए उचित न होगा । अतः नये चुनाव होना अति आवश्यक है ।

परिसम्पत् तथा दायित्वों के विभाजन से सम्बन्धित विवादों को उच्चतम न्यायालय के पास निर्णय के लिए भेजा जा सकता है पर इसके लिए आंध्र राज्य के निर्माण में थोड़ी सी भी देर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस वांचू ने बताया है कि गत चार पांच वर्षों में मदरास सरकार ने रक्षित निधि में से करोड़ों रुपये दैनिक प्रशासन कार्यों पर व्यय किए हैं और यह कहना कि वित्त मंत्री एक आन्ध्रवासी था विशेष महत्व नहीं रखता क्योंकि वह एक पुरजा मात्र था । अतः आन्ध्र राज्य इस गड़बड़ी मे घाटे में क्यों रहें ।

१२ मध्यान्ह

फिर केन्द्र द्वारा दिये अनुदानों तथा ऋणों की समस्या है । सभी जानते हैं कि आन्ध्र आज एक पिछड़ा हुआ राज्य है और वहां सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं । अब केन्द्र का उस को विशेष सहायता करनी चाहिये । मद्रास नगर के सरकारी भवनों की

क्षति पूर्ति के रूप में जस्टिस वांचू ने आन्ध्र के लिये २३०·४ लाख रुपये की सिफारिश की है मेरे विचार से श्री चंदूलाल त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिये।

सेवाओं के विभाजन के विषय में जस्टिस वांचू ने एक आयोग की स्थापना की बात कही है इस विषय में श्री त्रिवेदी जैसे सुयोग्य पदाधिकारी की सेवाओं को आंध्र राज्य को देने के लिए मैं केन्द्रीय सरकार का कृतज्ञ हूं। फिर रायलसीमा क्षेत्र के कालिजों का आन्ध्र विश्वविद्यालय से सम्बन्ध जोड़ने के विषय में इस विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है। आशा है इस भूल को सुधारा जायगा और जस्टिस वांचू के सुझाव के अनुसार अवशिष्ट राज्य में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं आंध्र छात्रों को मिलती रहेंगी आशा है कि शेष मदरास राज्यवासी भाई इस विषय में उदार बनें रहेंगे। वैसे स्थानों का संरक्षण कर देना अधिक उपयुक्त रहेगा। आशा है कि केन्द्रीय सरकार आंध्र राज्य में भी कुछ शिल्प प्रशिक्षण केन्द्र तुरन्त ही खोल देगी।

अंत में आन्ध्र राज्य के भावी शासकों से अनुरोध करूंगा कि वे श्री वांचू के महत्वपूर्ण सुझावों को मानेंगे और झूठी प्रतिष्ठा के मोह में न पड़कर मद्य निषेध की नीति न अपनायेंगें। भौतिक उन्नति नैतिक उन्नति की अपेक्षा अधिक आवश्यक होती है और ऐसी ही आवश्यकता की दृष्टि में हम महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत को समझते हुए भी पुलिस तथा सेना को नहीं त्याग सके हैं।

श्री बासप्पा (टुमकुर): मदरास तथा मैसूर विधान सभाओं द्वारा इस विधेयक पर पूरा पूरा विचार हो चुकने की दृष्टि में इस विधेयक का प्रवर समिति को निर्देश विलम्ब कार्य ही होगा। आचार्य कृपलानी ने शायद यह कहा था कि भाषावार प्रांत इस समय बाधा स्वरूप ही होंगे और गड़-बड़ी तथा अनैक्य पैदा करेंगे।

श्री जे० बी० कृपलानी: मेरा अभिप्राय यह था कि एक बार यह सिद्धान्त मान लेने पर भाषावार प्रांत बनाना अनिवार्य हो जाता है।

श्री बासप्पा: मुझे हर्ष है कि कृपलानी ने अपनी स्थिति साफ़ कर दी। भाषा के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण तत्वों पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा और राष्ट्रपति ने भी अपने ११ फ़रवरी १९५३ के अभि-भाषण में भी यही बात कही थी मैं राज्यों के इस आधार पर, पुनर्गठन को अत्याधिक आवश्यक मानता हूं और मेरा विचार है कि कालान्तर में 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' जैसे सारे विभेद लुप्त हो जायेंगे यह विधेयक उचित दिशा में उठाया एक पग है। बेलारी ज़िले के कुछ भाग मैसूर को देना यही बतलाता है कि भाग 'क' और 'ख' राज्य में कोई विभेद नहीं किया गया है।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम): इस प्रकार वह एक 'क' राज्य नहीं बन सकेगा।

श्री बासप्पा: प्रश्न केवल जन-संख्या का है। यदि कोई राज्य बहुत बड़ा हो जाता है और कोई बहुत छोटा तो सभी प्रकार की कठिनाइयां भी रहेंगी चाहे वह 'क' राज्य हो और चाहे 'ख' राज्य।

कुछ लोगों का विचार है कि भाषा-वार प्रान्तों के बनने पर हमें कुछ लज्जा आनी चाहिए। किन्तु ऐसी कोई बात

[श्री बासप्पा]

नहीं। जब तक ऐसा न होगा इस देश के लोग सन्तुष्ट नहीं हो सकते। यदि विभिन्न प्रान्तों के लोग इस प्रश्न पर विचार करना इसलिए छोड़ देते हैं कि उन में आपस में कटुता उत्पन्न हो जायगी तो मैं इससे बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। भाषावार प्रांतों का आधार काफी सुदृढ़ है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि आन्ध्र राज्य अभी ही बना है और कर्नाटक राज्य बनने वाला है। अतः इसकी अत्यन्त आवश्यकता भी थी। मेरे एक मित्र ने व्यंग रूप में कहा कि वहां जनमत लिया जाना चाहिये और सीमा आयोग जो बनने जा रहा है उसको चाहिए कि वह बेलारी के प्रश्न की भी जांच करे। इस सम्बन्ध में मत विभिन्नता पाई जाती है। न्यायाधीश मिश्र का कहना है कि यह एक ऐसी चीज़ है जो कर्नाटक को जानी चाहिए। न्यायाधीश मिश्र द्वारा दिए गए तथ्यों तथा आंकड़ों के अनुसार बेलारी तालुका में कन्नाड़िगों की अधिकता है। अतः जहां तक भाषा के बनाने का सम्बन्ध है मेरे विचार से तालुका में कन्नाड़िगों का पूर्ण बहुमत है।

डा० लंका सुन्दरम् : बेलारी शहर के सम्बन्ध में क्या होगा।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : दिये गए आंकड़ों पर प्रश्न किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि दोनों पक्षों को उनकी यथार्थता पर संदेह है।

श्री बासप्पा : यद्यपि कन्नाड़िगों तथा तेलगू बोलने वाले लोगों में कुछ हज़ारों का ही अन्तर है किन्तु उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से बताया है कि ऐसा क्यों है। बेलारी के मुसलमानों ने भारत के प्रधान मंत्री से यह प्रार्थना की है कि बेलारी तालुका मैसूर में सम्मिलित कर लिया जाय। सरकार भी न्यायाधीश मिश्र के निर्णय के पक्ष में है।

मैसूर के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के अभियोग लगाये हैं जो अनुपयुक्त तथा असंगत है। जब भारत सरकार ने सीमाओं की पुनर्व्यवस्था की थी तो उसे इन तालुकों को मैसूर में मिला देना चाहिए था। मैसूर के सम्बन्ध में यह कहना कि वह अधिक भूमि चाहता है, बड़ा निर्दयतापूर्ण होगा। मैसूर ने कभी भी अनाधिकार चेष्टा नहीं की। उसने केवल उन्हीं क्षेत्रों को अपने में मिलाया जो स्वयं उसमें सम्मिलित होने के इच्छुक थे। कुछ भी हो तब भी वे कन्नाडिग हैं और वह असंतोष पिछले ३० वर्षों या उससे अधिक समय से चल रहा है। यदि आन्ध्र वाले अपने राज्य के लिये लड़ चुके हैं तो कन्नाडिगा भी अपने राज्य के लिये लड़ सकते हैं। अतः कर्नाटक राज्य का बनना बड़ा सरल है, केवल कुछ और भूभागों को इधर उधर बांटने का ही प्रश्न है। यदि इस प्रकार किया जायगा तो सारा कर्नाटक भिन्न भिन्न प्रशासनों के अन्तर्गत चला जायगा हां यदि इन सबको एक साथ मिला लिया जाय तो इससे भाषा के आधार पर निश्चय ही उनमें एकता स्थापित की जा सकती है। मैं नहीं समझ पाता कि जब मैसूर की विधान सभा तथा कान्ग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास कर लिया है तो भारत की एकता भाषावार प्रान्तों की पुनर्व्यवस्था से किस प्रकार भंग हो सकती है। मैसूर के मुख्य मंत्री ने बताया कि इस संबन्ध में उनसे परामर्श नहीं लिया गया था। अब प्रश्न आता है मैसूर में पड़ोस

के कुछ क्षेत्रों को मिलाने का जो बड़ी आसानी से हल हो जायगा।

कुछ लोग विशाल आन्ध्र बनाने की सोच रहे हैं किन्तु जब तक हैदराबाद का प्रश्न हल नहीं हो जाता तब तक विशाल आन्ध्र या विशाल कर्नाटक का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सरकार एक आयोग की नियुक्ति करने जा रही है जो राज्यों के पुनर्संगठन पर विचार करेगा। अतः मैं समझता हूं कि भाषावार प्रान्त बनाने का यह एक अच्छा अवसर है जिससे भारत की उन्नति में सहायता मिल सकेगी।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम : इस सदन के कुछ सदस्यों द्वारा यह कहा गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिये उपवासों अथवा भूख-हड़तालों का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि स्वर्गवासी श्री रामुलू के मृत्यु उपवासों का अर्थ कभी भी भारत सरकार को परेशान करने का न था। इतना अवश्य था कि लोग आपस में लड़भिड़ रहे थे और इस पर श्री रामुलू ने अपने ऊपर एक मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्माण करने का भार अवश्य लिया था। उनका उद्देश्य था एक संगठित योजना का निर्माण करना जिस से आपस का कलह रोका जा सके और एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना हो सके।

मैं आशा करता हूं कि हम आन्ध्रवासी माननीय मंत्री की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह तम्बाकू पर जो उत्पादन शुल्क के रूप में धन राशि आन्ध्र से वसूल करते हैं वह आन्ध्र राज्य को दे दें ताकि विशाल आन्ध्र की स्थापना हो सके जिसके लिए वहां के लोग प्रेरित हैं। मैं माननीय योजना मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि वे पञ्चवर्षीय योजना में से कृष्णा तथा अन्य सहायक नदियों के सामने जो प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया गया है, मिटा दें। यदि इतना कर दिया जाय तो आन्ध्र आसाम से बाज़ी मार सकता है, और सम्पूर्ण भारत का मार्ग प्रदर्शन कर सकता है।

इस विधेयक का मूल उद्देश्य है उस अकृत्रिमता तथा अस्वाभाविकता को दूर करना जिस पर पिछली दो शताब्दियों का साहचर्य आधारित है। इन्हीं के कारण आन्ध्र में झगड़े तथा असन्तोष विद्यमान है। अतः यदि आपस में सदिच्छा एवं मित्रता स्थापित की जा सके तो इन सभी का अन्त हो सकता है। मैं समझता हूं कि इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता कि पहले हम भारतीय हैं और बाद को आंध्रवासी, तामलवासी अथवा अन्य कुछ।

श्री बाग समझौता के सम्बन्ध में रायलसीमा के लोगों के मस्तिष्कों में कुछ भ्रम एवं अशंकायें 'सरकार' के लोगों के विचारों के सम्बन्ध में थीं। मैं समझता हूं कि वे कुछ उचित भी हैं जिनका उत्तर देने में वे असमर्थ हैं।

मेरे मित्र श्री शेषगिरि राव ने कहा कि राजधानी को कुरनूल से विजयवाड़ा या गुन्टूर ले जाने के सम्बन्ध में भी असन्तोष फैल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आन्ध्र की परिस्थिति के अनुसार यह स्पष्ट है कि उसकी उन्नति से ही रायलसीमा तथा 'सरकार' दोनों की उन्नति एवं कल्याण होगा। 'सरकार' के लोग यह भली भांति समझते हैं कि औद्योगिक उन्नति के लिए उन्हें रायलसीमा पर निर्भर करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार रायलसीमा के लोग भी मेरे विचार से सहमत हैं कि उन्हें अपनी खाद्य संबंधी

[श्री एस० वी० एल० नरसिंहम]

आवश्यकताओं के लिए 'सरकार' पर निर्भर करना पड़ेगा। यदि इन दोनों के लिए जो एक दूसरे पर आश्रित रहने का कारण सम्मिलित कारण न समझा जायगा तो चाहे इस प्रकार का विधेयक बन भी जाय तो भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता।

आज आवश्यकता इस बात की है कि रायलसीमा की जिन शिक्षा संस्थाओं को मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्रदान की गई थी, वह समाप्त कर आन्ध्र विश्वविद्यालय द्वारा दी जानी चाहिए। इस प्रकार की कार्यवाही करने की अत्यन्त आवश्यकता है। यद्यपि इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होंगी किन्तु उनका कुछ हल सदन को ढूंढ निकालना पड़ेगा क्योंकि यह अन्त-विश्वविद्यालय का प्रश्न है। प्रत्येक राज्य में उस राज्य के विश्वविद्यालय का ही अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, दूसरे विश्वविद्यालय का नहीं।

न्यायाधीश मिश्र के प्रतिवेदन की भी कुछ निन्दा की गई है। मैं उस निन्दा से सहमत नहीं। श्री मिश्र का जनमत लेने का विचार कोई नया विचार नहीं है। जनमत लेने के सम्बन्ध में जहां तक बेलारी का प्रश्न आता है, इस पर विचार किया जा चुका है और न्यायाधीश मिश्र ने उसका उल्लेख भी किया है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आन्ध्र वालों ने कभी भी बेलारी के पूरे ज़िले को नहीं मांगा। उनका दावा कुछ तालुकों तक ही सीमित था। जस्टिस मिश्र ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया।

मद्रास राज्य के कन्नड़ भाषाभाषी क्षेत्रों को मैसूर राज्य में मिलाकर ठीक किया है। हम आपस में बैठ कर इस प्रश्न को सुलझा लेंगे।

प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि मद्रास राज्य के आन्ध्र क्षेत्रों को अलग कर आन्ध्र राज्य की स्थापना की जा रही है। जस्टिस वांचू की रिपोर्ट से यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि उन्होंने जिन क्षेत्रों की सिफारिश की है वे क्षेत्र ऐसे हैं जिन के विषय में कोई शंका नहीं हो सकती। परन्तु इन क्षेत्रों में सारे आन्ध्र क्षेत्र नहीं मिले हैं। मद्रास तथा आन्ध्र राज्य की अन्तिम सीमा निश्चित करने के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त करना पड़ेगा। यह सब पक्षों के दावों की जांच करेगा। सीमाएं बदलने के विषय में संविधान के अनुच्छेद ३ में यह लिखा है कि संबन्धित राज्यों के विधान मंडलों के विचार जानने के पश्चात ही राष्ट्रपति सिफारिश करेगा कि वह प्रश्न संसद के सम्मुख रखा जाय। सीमा बदलने के लिए विधान मण्डल स्वयं प्रार्थना कर सकता है। इस लिए मद्रास राज्य के विधान मंडल का संकल्प ही पर्याप्त होगा।

मैं भी चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी, आस्तियां तथा दायित्व आदि शीघ्र बांट दिये जायें। कुछ लोग समझते हैं कि आन्ध्र निवासी संकुचित विचार वाले हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे पूर्ण भारतीय हैं।

श्री सी० आर० नरसिंह : अभी विभिन्न सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है वह सब से अधिक मान्य हो सकता है।

अभी सीमा आयोग का सुझाव दिया गया है। वास्तव में आन्ध्र जैसे छोटे राज्य के लिए इसकी कोई आवश्यक

नहीं है । आन्ध्र राज्य को सीमा क्षेत्रों के जटिल प्रश्न में नहीं उलझना चाहिए। सीमांकन की कोई आवश्यकता नहीं है । पाकिस्तान और भारत, बरमा और भारत तथा भारत और चीन के बीच की अधिकांश सीमा निश्चित नहीं हुई है ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : आप के निर्वाचन क्षेत्र में ही १०० गांव ऐसे हैं जहां तेलुगू बोली जाती है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : होसुर तालुके में तेलुगू लोग केवल ४० प्रतिशत हैं । वे आन्ध्र में नहीं जाना चाहते । अतएव सीमा आयोग का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए । हम सभी चाहते हैं कि आन्ध्र राज्य सफल हो । मैं सरकार के इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

कुमारी एनी मस्करीन: भाषावार प्रान्त रचना सम्बन्धी यह प्रथम विधेयक है । परन्तु जिस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है वह ठीक नहीं है । आस्तियों के वितरण के कारण बड़ा भ्रम फैल गया है ।

भारत को विभाजन के पश्चात् स्वतंत्रता मिली । विभाजन के कारण लाखों मनष्यों को कष्ट उठाना पड़ा । यह विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था । अब हम भाषा के आधार पर फिर से वही बात करना चाहते हैं । इससे फिर लोग कठिनाई में पड़ जायेंगे । लोगों को खाना कपड़ा चाहिए, भाषावार प्रान्त नहीं । मद्रास राज्य ने तुंगभद्रा और मचकुंद योजनाओं पर बहुत लागत लगाई है । इस विभाजन के कारण संभव है वे योजनायें पूरी न हो पाएं । सामान्य जनता को कुछ लोग गलत राह बता रहे हैं । खाद्य समस्या सुलझने के पश्चात् इन भाषावार राज्यों की रचना को ले सकते थे । सिद्धांत के अनुसार फडरल गवर्नमेंट के प्रत्यक राज्य में वित्तीय आत्म-निर्भरता होनी चाहिए । जस्टिस वांचू के अनुसार आन्ध्र राज्य में प्रतिवर्ष ५ करोड़ का घाटा हुआ करेगा । नए राज्य बनने से बहुत से व्यय बढ़ जाएंगे । उन्होंने सिफारिश की है कि व्यय घटा दिए जाएं, उत्पादकर फिर से लगा दिया जाए तथा शराब बन्दी हटा दी जाए । इन सिफारिशों को मान लेना ठीक होगा ।

भाषावार राज्यों के निर्माण की मांग नई है । केनेडा, स्विटज़रलेंड में भाषावार राज्य नहीं है । रूस में अवश्य ही ऐसे राज्य हैं परन्तु वहां की दशाएं भारत से भिन्न हैं । वहां के राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता है ।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : क्या अभी तक कोई राज्य अलग हुआ है ?

कुमारी एनी० मस्करीन : यदि वे चाहें, तो ऐसा कर सकते हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या आप उदाहरण दे सकते हैं ?

कुमारी एनी मस्करीन : यदि गण-राज्य ऐसा नहीं करते तो मैं बीच में बोलने वाले महाशय से कहूंगी कि वे जाकर उनसे अनुग्रह करें ।

श्री नम्बियार : क्या उनको पारपत्र दिया जायगा ?

कुमारी एनी मस्करीन : मैं उज़बेकिस्तान जा चुकी हूं और वहां भी लोग अज़रबाईजान और उज़बेकिस्तान बोलते हैं । रूस में भी भाषा का बन्धन इतना कड़ा नहीं, जितना कि हम अपने देश में, तामिल तेलगू और कनाड़ी को अलग करके, करना चाहते हैं । इस प्रकार

[कुमारी एनी मस्करीन]

अल्पसंख्यकों का विरोध खड़ा हो सकता है ।

दो भाषाओं वाले स्थानों में हमें हल ढूंढना पड़ता है । बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों में राजधानी के बारे में झगड़ा होता देखा जाता है, जोकि न्यायाधीश वांचू की रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है । अतः मैं इस विधेयक के बनाने वालों से फेडरल सरकार के मूल तत्वों की ओर ध्यान देने के लिये कहूंगी, जिस को चलाने के लिये आपस का समझौता परमावश्यक है । इसमें परिवर्तन धीरे-धीरे होने चाहिएं । क्योंकि वह सरकार संविधान द्वारा निर्माण की जाती है, अतः यह वैधानिक भी होती है ।

१ म० प०

श्री आर० एन० एस० देव : मैं आन्ध्र के लोगों को, जो चालीस वर्ष से घोर प्रतत्न कर रहे थे उनके मांगे हुए राज्य के बनने पर बधाई देता हूं । यद्यपि उन की आशाएं पूर्ण होने जा रही हैं, तो भी इस विधेयक से जितना संतोष उनको होना चाहिए, उतना हम नहीं देख पाते । जहां तक आस्तियों, और दायित्वों के विभाजन और बेलारी जिले के कुछ ताल्लुकों का सम्बन्ध है, इसमें मतभेद हो सकता है, परन्तु असंतोष का मुख्य कारण यह है कि विशाल आन्ध्र राज्य का विचार पूर्ण नहीं हुआ है परन्तु मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि विशाल आन्ध्र-राज्य का विचार भविष्य में सफल होगा । जब १९१६ में डा० पट्टाभि सीतारमैय्या ने आन्ध्र सम्मेलन के लिये भाषा के आधार पर राज्यों की योजना बनाई, जो भारत सरकार विधेयक, १९१९ में संयुक्त प्रवर समिति में रखी गई, तो वहां केवल ११ ज़िलों की मांग की गई थी, जो बाद में आन्ध्र राज्य में १२ ज़िले बना लिये जाते । उनकी यह मांग बहुत हद तक पूर्ण हो रही है ।

मुख्य असंतोष का कारण यह दिखाई पड़ता है कि १९१६ या १९१९ में किसी को भी हैदराबाद के टूटने का विचार नहीं था, क्योंकि तब वह अलग राज्य था । परन्तु अब परिस्थिति बदल चुकी है तथा भारतीय राज्य एकत्रित किये जा चुके हैं । इसलिये आन्ध्र क्षेत्र के सारे मित्रों के हृदय में विशाल आन्ध्र राज्य बनाने की स्फूर्ति जागृत हुई है ।

परन्तु मैं आन्ध्र वाले मित्रों से कहूंगा कि उड़िया के लोगों को उनकी अपेक्षा अधिक कष्ट झेलने पड़े थे । उनके मामले में तो वे लोग पहले तीन प्रान्तों में और फिर चार प्रान्तों में बंटे हुए थे । एक समय तो उनकी उड़िया भाषा के भी समाप्त हो जाने का भय था । कई वर्षों के प्रयत्नों के पश्चात् भी वे लोग सम्पूर्ण उड़िया भाषी प्रान्त नहीं बना सके । अब भी उड़ीसा से बाहर उड़िया बोलने वाले भाग हैं, और हम उनको मिलाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । सेरायकैला और खरस्वान को उड़ीसा से अलग करके अन्याय किया गया है, और उन्हें अब जनता की इच्छा के विरुद्ध बिहार में मिला दिया गया है । मध्य प्रदेश के बस्तर ज़िले में भी और अन्य क्षेत्रों में जैसे फूलझर, बिंदरानवागढ़, सारंगढ़ सक्ती आदि में उड़िया बोलने वाले लोग रहते हैं । श्रीकाकुलम और विशाखापटनम के प्रति भी हमारे दावे हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : हमें गंजम का इलाका देकर तेकाली का इलाका ले लीजिये ।

श्री आर० एन० एस० देव : गंजम तथा कोरापूत के इलाकों का दावा करने वाले आन्ध्र के लोगों को मैं याद दिलाता हूं कि ऐसा करके वे अपनी पूर्व न्याय और शुद्धता की भावना से परे जा रहे हैं। मैं याद दिलाता हूं कि बिबोली और विजयनगर के राजाओं ने जालान्तर और बिरदी क इलाकों को उड़ीसा में मिलाने की स्वीकृति दे दी थी यद्यपि इस कारण उनको निजी असुविधाएं भी होती थीं।

अब मैं अपने मित्रों को याद दिलाता हूं कि जालान्तर में अधिकतर उड़िया क्षेत्र होते हुए भी श्रीकाकुलम जिले में है और बरहामपुर ताल्लुका में ६० प्रतिशत उड़िया के लोग रहते हैं, परन्तु इसे भी बिना किसी औचित्य के बांट दिया गया तथा इच्छमपुर को एक अलग ताल्लुका बना दिया गया।

डा० लंका सुन्दरम : बरहामपुर नगर के बारे में क्या है ?

श्री आर० एन० एस० देव : सदन पटल पर रखे हुये संशोधनों और ७ तथा १२ जुलाई के संकल्पों के विवाद में भी गंजम और कोरापूत पर आन्ध्र वाले अपना दावा प्रकट करते हैं। परन्तु उड़ीसा के किसी भी व्यक्ति को उत्तर देने का अवकाश नहीं मिला। यह दावा औचित्य विहीन और निराधार है।

मैं अपने नही, अपितु श्री कोका अप्पा राव नायडू के ज्ञापन का वर्णन करूंगा जो उन्होंने १९१९ में भारत सरकार विधेयक १९१९ के लिये संयुक्त प्रवर समिति को प्रस्तुत किया था। वह गंजम की जनता के संघ के सचिव थे और आन्ध्र निवासी थे। मैं उसका ब्यौरा यहां देता हूं

"उड़िया--उड़िया लोगों की मद्रास प्रान्त में अल्पसंख्या है, उनकी जनसंख्या ६,०४,३२१ है। वे अपने पड़ौसी आन्ध्र निवासियों से भाषा, जाति, रस्म रिवाज आदि में भिन्न हैं। भारत में निर्वाचित परिषदों के चुनाव में एक भी उड़िया निर्वाचित नहीं हुआ था।"

इसे देखियेगा और फिर आगे देखिये।

"बरहामपुर नगरपालिका में भी वे एक भी सदस्यता प्राप्त नहीं कर सके। जब कि वे बहुसंख्या में थे।"

इन शब्दों की ओर ध्यान दें। "जब कि वे बहुसंख्या में थे।"

एक सदस्य : यह १९१९ की बात है।

श्री आर० एन० एस० देव : और उसके पश्चात बहुत से आन्ध्र लोग व्यापार तथा सेवा के लिये उड़िया लोगों के बहुसंख्यक क्षेत्र में आ गये है, जैसे कि फिलिप डफ कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि फिलिप डफ कमेटी की पड़ताल में और उड़िया आयोग १९३२ की पड़ताल में भी आन्ध्र के लोग कोरापूत और गंजम के इलाकों के सम्बन्ध में दिलचस्पी नहीं लेते थे और इन समितियों ने इसके कारण लिखे। उन्होंने लिखा कि क्योंकि ये क्षेत्र अविकसित थे, और इनका उत्तरदायित्व अधिक था, अतः आन्ध्र लोग इस में दिलचस्पी नहीं लेते थे। और

[श्री आर० एन० एस० देव]

अब जब कि उड़ीसा ने वहां पर सड़कें बनवाई और अविकसित क्षेत्रों पर लाखों रुपया खर्च किया है, तो आप क्यों इनको ललचाई हुई आखों से देखते हो । अब यह क्षेत्र अच्छा हो गया है, तो आन्ध्र के लोग इस इलाके में आ गये हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं, क्या यह उचित है ?

श्री एस० वी० रामस्वामी : यह ठीक उसी प्रकार का दावा है, जैसा मद्रास पर ।

श्री आर० एन० एस० देव : कोरापूत जिला सम्बन्धी संशोधन में, तेलगू जनसंख्या केवल ६.२ प्रतिशत है । अब आप ही बतलाइये कि क्या उनका दावा उचित है ?

कई सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री आर० एन० एस० देव : गंजम में भी १६,२४,८२६ की जनसंख्या में तेलगू संख्या केवल २,३६,८७८ है, जो १४.१८ प्रतिशत है । परन्तु इसके विपरीत श्री काकुलम जिले के कई दूसरे क्षेत्रों में सोमपेत, इच्छापुर आदि में अधिकतर उड़िया भाषी लोग बसते हैं । सोमपेत तालुके में २८६ गावों में से, १८५ गांव उड़िया भाषी बहुसंख्या के हैं । उदयखण्ड में भी·····(**अन्तर्बाधा**)

यदि आन्ध्र वाले इन पर अपना दावा रखते हैं, तो उन्हें यह याद रखना चाहिये कि हमारे भी प्रतिदावे हैं । आन्ध्र के लोग जो पहिले उड़ीसा के पक्ष में इसे स्वीकार कर चुके हैं, अब वे मद्रास के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हैं । उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि मद्रास में बेचारे उड़िया अल्प संख्यक लोगों की क्या दशा थी, जब कि अब आन्ध्र वालों को कम से कम अपनी भाषा के खोने का तो भय नहीं था । विजगापट्टम और गंजम जिलों में स्कूलों के सम्बन्ध में आन्ध्र वालों को सब सुविधायें प्राप्त थीं, परन्तु उड़िया वाले शताब्दियों तक दुख भोगते रहे । (**अन्तर्बाधा**)

मैं अब और नहीं बोलूंगा । जब संशोधन सामने आयेंगे तो उन पर बोलूंगा ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : अब मैं इस मौके पर जो आन्ध्र बिल हाउस के सामने पेश हुआ है उसकी पुरजोर ताईद करते हुए खुशी से उसका स्वागत करता हूं ।

सभापति महोदय : सदस्य महोदय कल अपना भाषण कर सकेंगे ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बुध वार १९ अगस्त १९५३ को सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।